

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर
प्रतिवेदन
वर्ष 2019-20 के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
आर्थिक मामलों का विभाग
(वित्त मंत्रालय)
वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 18

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर
प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20 के लिए

संघ सरकार
आर्थिक मामलों का विभाग
(वित्त मंत्रालय)
वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 18

विषयसूची

| शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|---|--------------|
| प्राक्कथन | iii |
| कार्यकारी सारांश | v |
| अध्याय 1: परिचय | 1 |
| अध्याय 2: एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों का अधिदेश | 7 |
| अध्याय 3: एफ आर बी एम लक्ष्य और उपलब्धियां | 11 |
| अध्याय 4: ऋण स्थिरता | 25 |
| अध्याय 5: अतिरिक्त बजटीय संसाधन | 29 |
| अध्याय 6: गारंटियाँ | 37 |
| अध्याय 7: प्रकटीकरण और पारदर्शिता | 39 |
| अनुलग्नक | 45 |
| शब्दावली | 63 |

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम 2003 की धारा 7ए के तहत बनाए गए नियम 8 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी ए जी) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह वित्तीय वर्ष 2014-15 के आरम्भ से अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा करे तथा ऐसी समीक्षाओं को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करे।

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम व नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुपालन पर सी ए जी की यह पांचवीं प्रतिवेदन है। यह 1 अप्रैल 2018 में उल्लेखनीय रूप से संशोधित अधिनियम और नियमों के बाद, दूसरी प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन में एफ आर बी एम लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की आलोचनात्मक जांच की गई है, मध्यम अवधि के नीति वक्तव्यों और मध्यम अवधि के व्यय ढांचे में किए गए अनुमानों के साथ वास्तविक तुलना की गई है और भिन्नता के कारणों का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता और प्रकटीकरण संबंधी मुद्दों पर सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई को विशेष रूप से बताया गया है।

प्रतिवेदन में प्रस्तुत की जा रही टिप्पणियां मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित बजट दस्तावेजों और उस वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्त खातों की जांच पर आधारित हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रकाशनों और सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी नियमों की प्रतिवेदनों और प्रकाशनों का भी संदर्भ लिया गया था।

प्रतिवेदन में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उन उदाहरणों को उल्लिखित किया गया है जो वर्ष 2019-20 के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। जहां कहीं भी उचित है, 2019-20 से पहले की अवधि से संबंधित राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव डालने वाले मामलों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा को सी ए जी द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न किया गया है।

कार्यकारी सारांश

परिचय

भारत सरकार ने राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक बृहद आर्थिक स्थिरता में अंतर-पीढीगत न्याय संगतता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया। एफ आर बी एम अधिनियम में केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करने और उधार, ऋण और घाटे की सीमा निर्धारित करके विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन का पालन करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार के वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि के ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 8 के तहत बनाए गए एफ आर बी एम नियम 2004, जुलाई 2004 में लागू हुए। इसके बाद, अधिनियम और नियमों में समय-समय पर संशोधन किया गया है, जिसमें नवीनतम संशोधन अप्रैल 2018 में किया गया है।

2012 में पेश किए गए अधिनियम की धारा 7ए ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा करने का काम सौंपा।

प्रतिवेदन में क्या शामिल है

वित्तीय वर्ष 2019-20 की यह प्रतिवेदन केंद्र सरकार द्वारा एफ आर बी एम अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन पर चर्चा करती है। लेखापरीक्षा के दायरे में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट दस्तावेजों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू एफ आर बी एम अधिनियम के तहत विवरण के साथ पठित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के वित्त और विनियोग खातों को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा ने बजट से इतर वित्तपोषण के कुछ मामलों की जांच की और समग्र वित्तीय संकेतकों पर ऐसे परिचालनों के प्रभाव का विश्लेषण किया।

समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने (i) अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों की निरंतरता की जांच की; (ii) एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों में निर्धारित अनुसार सरकार द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति; (iii) विभिन्न वित्तीय विवरणों के अनुसार, प्राप्तियों और व्यय के लक्ष्यों की प्राप्ति; (iv) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और मैक्रो-इकोनॉमिक मापदंडों में रुझानों का विश्लेषण और (v) सरकार द्वारा किए गए खुलासे की पारदर्शिता और पर्याप्तता के मुद्दे।

मुख्य अवलोकन

अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन और अन्य संबंधित विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां इस प्रकार हैं।

एफ आर बी एम लक्ष्य और उपलब्धियां

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान ₹2,00,74,856 करोड़ था। प्राथमिक घाटा वित्तीय वर्ष 2011-12 से ₹2,30,898 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹1,88,510 करोड़ था। हालांकि, यह वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹1,88,510 करोड़ लगभग दोगुना से बढ़कर ₹3,75,755 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 (सकल घरेलू उत्पाद का 4.25 प्रतिशत) से घटने के बाद वर्ष 2016-17 से 2018-19 (वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.49 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.15 प्रतिशत तक) के दौरान राजकोषीय घाटा स्थिर रहा। जबकि यह वित्तीय वर्ष 2019-20 में (बी ए जी के अनुसार जी डी पी का 4.65 प्रतिशत और यू जी एफ ए के अनुसार जी डी पी का 5.14 प्रतिशत) बढ़ गया।

(पैरा 3.2)

- सरकार के व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से कुल व्यय के अनुपात के रूप में शिक्षा पर व्यय में कमी थी, जबकि उस अवधि के दौरान स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14.71 प्रतिशत से घटकर कुल व्यय का 12.72 प्रतिशत हो गया।

(पैरा 3.3.2)

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मध्य-वर्ष मापदंड ने निर्धारित किया कि 30 सितंबर 2019 तक राजस्व घाटा (आर डी) और राजकोषीय घाटा (एफ डी) दोनों को पूरे वर्ष के लिए बी ई के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह देखा गया कि वर्ष के मध्य तक वास्तविक घाटा बी ई के क्रमशः 99.8 प्रतिशत (राजस्व घाटे के मामले में) और 92.6 प्रतिशत (राजकोषीय घाटे के मामले में) तक पहुंच गया। राजकोषीय घाटे के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 0.10 प्रतिशत की वार्षिक कमी के लक्ष्य के प्रति, जो सकल घरेलू उत्पाद के 3.30 प्रतिशत के एक साल के अंत में एफ डी में परिवर्तित हुआ, यू जी एफ ए के अनुसार राजकोषीय घाटा (₹10,31,126 करोड़) वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर जी डी पी का 5.14 प्रतिशत हो गया और बी ए जी (₹9,33,651 करोड़) के अनुसार उस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 4.65 प्रतिशत बढ़ा।

(पैरा 3.3.1, 3.4.2 और 3.4.3)

कर और गैर-कर राजस्व

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर राजस्व का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 7.70 प्रतिशत (₹16,27,275 करोड़) और 8.00 प्रतिशत (₹16,74,523 करोड़) था, जो बाद में क्रमशः बी ई और आर ई चरण में सकल घरेलू उत्पाद का 7.85 प्रतिशत (₹16,49,582 करोड़) और 7.36 प्रतिशत (₹15,04,587 करोड़) कम हो गया। निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर आदि के राजस्व में कमी के कारण वास्तविक संग्रह, सकल घरेलू उत्पाद का 6.77 प्रतिशत (₹13,59,382 करोड़) हो गया था। इसके विपरीत, सकल घरेलू उत्पाद का 1.62 प्रतिशत, गैर-कर राजस्व (₹3,27,157 करोड़) के लिए वास्तविक आँकड़े, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति अनुमानों और बी ई से 1.49 प्रतिशत (₹3,13,179 करोड़) से काफी अधिक थे, लेकिन आर ई से 1.69 प्रतिशत (₹3,45,514 करोड़, लाभांश और लाभ के कारण) पर थोड़ा कम थे।

(पैरा 3.5.1)

- ₹50,349 करोड़ पर 'अन्य गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों' के वास्तविक आँकड़े, बी ई की तुलना में लगभग 52.05 प्रतिशत कम थे, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सी पी एस ई के नियोजित विनिवेश को अमल में नहीं लाया गया था।

(पैरा 3.5.2)

सरकारी ऋण

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार का ऋण ₹1,04,99,914 करोड़, यानी जी डी पी का 52.30 प्रतिशत था। हालांकि, 2025 के अंत तक केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक कम करने के एफ आर बी एम लक्ष्य को देखते हुए, लक्ष्य को केवल सकल घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि के साथ ही प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है।

(पैरा 3.6.1)

- वर्ष 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत तक सीमित करने के लक्ष्य के संबंध में, सरकार को लक्ष्यों में वार्षिक कमी को निर्धारित करने के लिए एक अपेक्षित योजना बनाने की आवश्यकता है। आगे, एफ आर बी एम अधिनियम की परिभाषा के अनुसार सामान्य सरकारी ऋण की गणना उपलब्ध नहीं थी। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में सामान्य सरकारी ऋण का उल्लेख सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र में सकल घरेलू उत्पाद के 68.6 प्रतिशत के रूप में किया गया था, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संबंधित आँकड़े अभी भी (मार्च 2022 तक) प्रगति पर थे और इसलिए अनुपलब्ध थे।

(पैरा 3.6.2)

ऋण स्थिरता

- 2015-16 से 2019-20 तक पांच साल की अवधि के लिए विभिन्न ऋण स्थिरता संकेतकों के रुझानों के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2018-19 के दौरान प्राथमिक घाटा लगभग दोगुना

होने और निम्न सकल घरेलू उत्पाद विकास दर (वर्ष 2019-20 में 6.22 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए 10.59 प्रतिशत) के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान यह नकारात्मक हो गया।

विश्लेषण से पता चला कि प्राप्त कुल राजस्व की सकल ब्याज लागत कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत थी और 2015-16 के बाद से इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी।

(पैरा 4.2.1)

अतिरिक्त बजटीय संसाधन

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (ए आई ए एच एल) द्वारा जुटाए गए ₹14,985 करोड़ (सरकारी गारंटी पर व्यवस्थित) का खुलासा विवरण 27 के नीचे नोट में नहीं किया। इसी तरह, आई आर एफ सी द्वारा ₹36,440 करोड़ की उधारी भारतीय रेलवे की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विवरण 27 में खुलासा नहीं किया गया था। इसके अलावा, विवरण 27 से ई बी आर को शामिल नहीं किए जाने के मामले थे, जिसमें बकाया उर्वरक सब्सिडी और एन एच ए आई द्वारा जुटाए गए ₹74,988 करोड़ के कारण 2019-20 के अंत तक ₹ 43,483 करोड़ की कैरी फॉरवर्ड देयता शामिल थी।

(पैरा 5.2.2 और 5.2.3)

गारंटियां

- 2019-20 के अंत में, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सी पी एस ई और अन्य निकायों को दी गई गारंटी ₹4,66,881 करोड़ थी जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.32 प्रतिशत है। 2019-20 में सरकार द्वारा दी गई अतिरिक्त गारंटियों को ₹60,907 करोड़ या सकल घरेलू उत्पाद के 0.30 प्रतिशत के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (ए आई ए एच एल) की उधारी के लिए ₹14,985 करोड़ और एफ सी आई द्वारा जुटाए गए ₹5,262.3 करोड़ की राशि की जी ओ आई गारंटियों पर विचार नहीं किया गया और उन्हें यू जी एफ ए के विवरण 4 में शामिल नहीं पाया गया। इस प्रकार, इन छोड़ी गई गारंटियों को शामिल करके, वास्तविक अतिरिक्त गारंटी वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 0.40 प्रतिशत होगी, लेकिन फिर भी एफ आर बी एम (किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 प्रतिशत) के गारंटी लक्ष्य के भीतर होगी।

(पैरा 6.2 और 6.3)

प्रकटीकरण और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

- वर्तमान के साथ-साथ पिछले वर्षों के बजट दस्तावेजों में और यू जी एफ ए के साथ ब्याज की बकाया राशि (₹1,926 + ₹18,117 = ₹20,043 करोड़) के प्रकटीकरण में असंगतता, पिछले वर्ष के अंतिम शेष को परिसंपत्ति रजिस्टर (₹8,908.06 करोड़), में प्रारंभिक शेष के रूप में

दर्शाये जाने में भिन्नता और विदेशी सरकारों को ऋण के आंकड़ों में असंगति (₹523.36 करोड़ अर्थात्, ₹14,751.13 करोड़ और ₹14,227.77 करोड़ का अंतर) देखी गई।

(पैरा 7.2.1, 7.2.2 और 7.2.3)

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार की देनदारियां जो बजट में दर्शाई गई थी, यू जी एफ ए के अनुसार अलग हैं। प्राप्त बजट (₹1,02,46,952 करोड़) में निहित अनुसार 2019-20 के लिए केंद्र सरकार की देनदारियां, यू जी एफ ए (₹1,01,98,473 करोड़) में बताई गई देनदारियों से भिन्न हैं। तथापि, अपेक्षित समाधान मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना बाकी था।

(पैरा 7.3)

अध्याय

1

परिचय

1.1 एफ आर बी एम अधिनियम की पृष्ठभूमि

1990 के दशक में और 2000 के दशक की शुरुआत में, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के उधार स्तर बहुत अधिक थे; जिसके कारण राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, साथ ही ऋण-सकल घरेलू उत्पाद¹ अनुपात, सभी उच्च स्तर पर थे। सरकार के विभिन्न स्तरों पर राजकोषीय अनुशासन के मूल सिद्धांतों को पेश करने के लिए, दिसंबर 2000 में संसद में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ आर बी एम) विधेयक पेश किया गया था, जो उस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति की सिफारिशों के अनुरूप था। इस प्रकार, संसद ने 2003 में एफ आर बी एम अधिनियम, अधिनियमित किया जिसे अगस्त 2003 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन और मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके, राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक मैक्रो-आर्थिक स्थिरता में इन्टर-जनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बनाना है। बाद में, अधिनियम की धारा 8 के तहत, एफ आर बी एम नियम 2004 बनाए गए, जो जुलाई 2004 में लागू हुए।

एफ आर बी एम अधिनियम में 2004, 2012, 2015 में चार बार और नवीनतम 2018 में संशोधन किया गया है। बदले गए प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण आकृति 1.1 में दर्शाया गया है।

आकृति 1.1: एफआरबीएम संशोधनों का विवरण

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आंकड़े)

| राजकोषीय संकेतक | लक्ष्य विवरण | मूल अधिनियम / नियम | पहला संशोधन (2004 में) | दूसरा संशोधन (2012 में) | तीसरा संशोधन (2015 में) | चौथा संशोधन (2018 में) |
|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. राजस्व घाटा ² | लक्ष्य | शून्य | शून्य | 2 | 2 | लक्ष्य हटा दिया गया है। |
| | वार्षिक कमी | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |

¹ सकल घरेलू उत्पाद - जी डी पी। यह समग्र उत्पादन गतिविधि का सूचक है। उत्पादन का स्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह काफी हद तक यह निर्धारित करता है कि कोई देश कितना उपभोग कर सकता है और यह रोजगार के स्तर को भी प्रभावित करता है।

² राजस्व घाटा का मतलब राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है। यह उस सरकार की संपत्ति में तदनुसूची वृद्धि के बिना केंद्र सरकार की देनदारियों में वृद्धि को इंगित करता है। (एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 2 (ई))

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | शुरुआत | 2004-05 | 2004-05 | 2013-14 | 2015-16 | |
| | अंतिम लक्ष्य तिथि | 31 मार्च 2008 | 31 मार्च 2009 | 31 मार्च 2015 | 31 मार्च 2018 | |
| 2. राजकोषीय घाटा ³ | लक्ष्य | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | वार्षिक कमी | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| | शुरुआत | 2004-05 | 2004-05 | 2013-14 | 2015-16 | 2018-19 |
| | अंतिम लक्ष्य तिथि | 31 मार्च 2008 | 31 मार्च 2009 | 31 मार्च 2017 | 31 मार्च 2018 | 31 मार्च 2021 |
| 3. प्रभावी राजस्व घाटा ⁴ | लक्ष्य | 2012 में पेश किया गया | | शून्य | शून्य | लक्ष्य हटा दिया गया है। |
| | वार्षिक कमी | | | 0.8 | 0.5 | |
| | शुरुआत | | | 2013-14 | 2015-16 | |
| | अंतिम लक्ष्य तिथि | | | 31 मार्च 2015 | 31 मार्च 2018 | |
| 4. गारंटियां | 2004-05 से शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल गारंटियां सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। | | | | | किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक, सीएफआई की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के लिए कोई अतिरिक्त गारंटी नहीं। |

³ राजकोषीय घाटा का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि से कुल संवितरण (ऋण की अदायगी को छोड़कर) निधि में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) से अधिक। (एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 2 (ए))

⁴ प्रभावी राजस्व घाटा का अर्थ है पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर। (एफ आर बी एम अधिनियम धारा 2 (ए ए) - एफ आर बी एम अधिनियम संशोधन 2012)

| | | |
|---------------------|--|---|
| <p>5. देयता/ ऋण</p> | <p>2004-05 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देनदारियों (मौजूदा विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) को ग्रहण नहीं करना और प्रत्येक अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत की सीमा को कम से कम सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक प्रतिशत बिंदु तक कम करना।</p> | <p>2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण और केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> |
|---------------------|--|---|

1.2 केंद्रीय बजट और एफ आर बी एम अधिनियम का अनुपालन

क. अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वि.व.) में संसद के सदनों के समक्ष तीन फॉर्म रखेगी - (ए) मध्यम अवधि की वित्तीय नीति सह वित्तीय नीति रणनीति विवरण (फॉर्म एफ 1), (बी) मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण (फॉर्म एफ 2), और (सी) मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण (फॉर्म एफ 3)।

अधिनियम की धारा 3(1)

ख. जबकि फॉर्म एफ 1 और फॉर्म एफ 2 को बजट (एफ आर बी एम अधिनियम, 2003 की धारा 3 (1ए)) की प्रस्तुति के समय रखा जाना आवश्यक है, फॉर्म एफ 3 को संसद के तुरंत बाद के सत्र में रखा जाना आवश्यक है, जिसमें उपरोक्त नीतिगत बयान रखे गए हों।

अधिनियम की धारा 3(1बी)

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के केंद्रीय बजट में अनिवार्य विवरण, एफ 1 और एफ 2 में वर्ष 2019-20 के अनुमान शामिल थे। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में, 2019-20 के लिए बजट अनुमान (बी ई) बनाए गए थे जिन्हें बाद में वित्तीय वर्ष 2020-21, के लिए केंद्रीय बजट में संशोधित अनुमान (आर ई), इसके बाद 2021-22 के बजट में वास्तविक आंकड़ों के रूप में संशोधित किया गया था। इस प्रकार, बजट अनुमानों का विश्लेषण वास्तविक की तुलना में पांच केंद्रीय बजटों की अवधि में किया गया था।

i.) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (फॉर्म एफ 1 में) अंतर्निहित मान्यताओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों (एफ आर बी एम नियम, 2004 के नियम 5 के तहत) के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करेगा। यह विवरण उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए बाजार से लिए गए उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों के उपयोग से संबंधित स्थिरता का आकलन प्रस्तुत करता है।

अधिनियम की धारा 3 (2) और 3 (3)

ii.) राजकोषीय नीति रणनीति विवरण (फॉर्म एफ 1 में) में अन्य बातों के साथ-साथ कराधान, व्यय, सब्सिडी, बाजार उधार और अन्य देनदारियों, उधार और निवेश, प्रशासित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, प्रतिभूति और अन्य गतिविधियों के विवरण जैसे, हामीदारी

और गारंटियां, जिनके संभावित बजटीय निहितार्थ हैं, से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की नीतियां शामिल हैं।

मूल्यांकन कि केंद्र सरकार की वर्तमान नीतियां एफ आर बी एम अधिनियम, 2003 की धारा 4 में निर्धारित वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों और मध्यम अवधि के वित्तीय नीति विवरण में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप कैसे हैं।

अधिनियम की धारा 3 (4)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत अनिवार्य एफ 1 विवरण का सार **अनुलग्नक 1.1** में दिया गया है।

iii.) मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (फॉर्म एफ 2 में) में अंतर्निहित मान्यताओं के विनिर्देश के साथ अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का आकलन शामिल होना चाहिए। इसमें (ए) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, (बी) सकल राजकोषीय शेष में परिलक्षित केंद्र सरकार के राजकोषीय शेष, और (सी) अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र⁵ शेष से संबंधित मूल्यांकन शामिल होता है, जैसा कि भुगतान शेष के चालू खाता शेष में परिलक्षित होता है।

अधिनियम की धारा 3 (5)

सरकार ने केंद्रीय बजट के साथ अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म एफ 2 को **अनुलग्नक 1.2** में संदर्भित किया जा सकता है।

iv.) मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण (एम टी ई एफ फॉर्म एफ 3 में) अंतर्निहित अनुमानों और शामिल जोखिम के विनिर्देश के साथ निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करेगा। इसमें शामिल हैं (i) नई सेवा, सेवा के नए साधन, नई योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़े प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों की व्यय प्रतिबद्धता, और (ii) स्पष्ट आकस्मिक देनदारियां, जो बहु-वर्षीय समय सीमा में निर्धारित वार्षिकी भुगतान के रूप में हैं।

अधिनियम की धारा 3 (6ए)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में किए गए थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एम टी ई एफ को नहीं रखा जा सका जिसके लिए आवश्यक विचलन विवरण संसद के समक्ष रखा जाना था।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

वर्तमान प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए एफ आर बी एम (संशोधन) नियम 2018 के नियम 8 के

⁵ बाह्य क्षेत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करता है। माल बाजार में, बाहरी क्षेत्र में निर्यात और आयात शामिल हैं। वित्तीय बाजार में इसमें पूंजी प्रवाह शामिल होता है।

अनुसार भारत के सी ए जी द्वारा वार्षिक समीक्षा है। अध्याय 2 में एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों के लिए अधिदेश के बारे में चर्चा की गई है, जबकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती अध्यायों में चर्चा की गई है।

अध्याय 3: एफ आर बी एम लक्ष्य और उपलब्धियां

इसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व और वित्तीय संकेतकों दोनों के लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि के संबंध में विश्लेषण और केंद्र सरकार के वित्त खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव की जांच शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संभावनाओं/अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भिन्नताओं का विश्लेषण और दो वर्षों के लिए किए गए पहले अनुमानों से पांच साल की अवधि में अन्य नीति विवरण और बजट दस्तावेज शामिल हैं।

अध्याय 4: ऋण स्थिरता

इसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक पांच साल की अवधि के दौरान केंद्र सरकार के ऋण स्थिरता संकेतकों का विश्लेषण शामिल है।

अध्याय 5: अतिरिक्त बजटीय संसाधन

इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का उपयोग करते हुए सरकारी व्यय से संबंधित अवलोकन शामिल हैं जो प्रासंगिक वर्षों के लिए राजकोषीय संकेतकों की गणना में शामिल नहीं होते हैं। बजट दस्तावेजों के व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 में अपर्याप्तता के साथ प्रासंगिक मामले के अध्ययन और उसके निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्याय 6: गारंटियां

यह अध्याय पांच साल की अवधि में जी डी पी के प्रतिशत के रूप में एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा दी गई गारंटियों में वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है।

अध्याय 7: प्रकटीकरण और पारदर्शिता

इस अध्याय में वर्तमान के साथ-साथ पिछले वर्षों के बजट दस्तावेजों (घाटे के आंकड़ों के संबंध में) के साथ-साथ ब्याज की बकाया राशि, परिसंपत्ति रजिस्टर में प्रारम्भिक और अंतिम शेष के बीच भिन्नता और विदेशी सरकारों को ऋण के बारे में विसंगतियों से संबंधित पैरा शामिल हैं।

अध्याय

2

एफ आर बी एम
अधिनियम और नियमों
का अधिदेश

अध्याय 2 एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों का अधिदेश

2.1 एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों की मुख्य विशेषताएं (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू)

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 4(1) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार

- i.) 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को **सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत** तक सीमित करने के लिए उचित उपाय करे।
- ii.) वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि
 - सामान्य सरकारी देनदारी, **सकल घरेलू उत्पाद के साठ प्रतिशत** से अधिक न हो।
 - केंद्र सरकार की देनदारी **सकल घरेलू उत्पाद के चालीस प्रतिशत** से अधिक न हो।
- iii.) किसी भी वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर किसी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटियां **सकल घरेलू उत्पाद का आधा प्रतिशत** से अधिक न दी जाए।
- iv.) यह प्रयास करें कि (i) और (ii) में निर्दिष्ट वित्तीय लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य तिथि से आगे न जाए।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5 के तहत, कुछ ⁶परिस्थितियों को छोड़कर, अधिनियम केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) से उधार लेने की अनुमति नहीं देता है।

वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, अर्ध-वार्षिक आधार पर, बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और संसद के दोनों सदनों के समक्ष अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार ऐसी समीक्षाओं के परिणाम प्रस्तुत करेंगे।

जनहित में अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय और अनुदान की मांग के लिए एफ आर बी एम नियम 6 के तहत अनिवार्य पांच प्रकटीकरण फॉर्म (डी-1 से डी-5)⁷ भी रखेगी।

⁶ नकद प्राप्ति, पर नकद संवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करना। प्राथमिक निर्गमों की सदस्यता और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा, आदि के आधार पर और इसके अतिरिक्त बाजार में खुले बाजार के संचालन।

⁷ प्रकटीकरण प्रपत्र (डी 1) - कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं हुआ, (डी 2) - गैर-कर राजस्व का बकाया, (डी 3) - सरकार द्वारा दी गई गारंटी, (डी 4) - संपत्ति रजिस्टर, और (डी 5) - वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता।

2.2 एफ आर बी एम अधिनियम से लिया गया लेखापरीक्षा अधिदेश

मई 2012 में एफ आर बी एम अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से, एक नई धारा 7^ए डाली गई थी जिसे सरकार द्वारा एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की सी ए जी द्वारा आवधिक समीक्षा करने के लिए निर्धारित किया गया था। इसके बाद, अक्टूबर 2015 में, एफ आर बी एम नियमों में एक नया नियम 8 शामिल किया गया था, जिसमें सी ए जी को वित्तीय वर्ष 2014-15 से वार्षिक समीक्षा करने और अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का प्रावधान था, जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा। इस तरह की समीक्षा में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- क. अधिनियम और नियमों में निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की उपलब्धि और अनुपालन का विश्लेषण, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, मैक्रो-आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यम अवधि के व्यय रूपरेखा विवरण।
- ख. अधिनियम और नियमों के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और मैक्रो आर्थिक मानकों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण।
- ग. अधिनियम और नियमों में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि पर असर डालने वाले राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति या देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियां।
- घ. अपने वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए खुलासे का विश्लेषण।

तदनुसार, सी ए जी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 (2016 की प्रतिवेदन संख्या 27) के लिए, वित्तीय वर्ष 2015-16 (2017 की प्रतिवेदन संख्या 32) के लिए, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए (2018 की प्रतिवेदन संख्या 20) और वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 2021 की प्रतिवेदन संख्या 6 की संयुक्त अवधि के लिए एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों के अनुपालन पर प्रतिवेदन तैयार की है और संसद के दोनों सदनों में रखा गया है।

2.3 लेखापरीक्षा का दायरा, मानदंड और साक्ष्य

2.3.1 लेखापरीक्षा का दायरा और मानदंड

यह प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा एफ आर बी एम अधिनियम और नियमों के अनुपालन को कवर करती है और निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है।

⁸ समीक्षा प्रतिवेदन रखना - केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को आवश्यकतानुसार समय-समय पर समीक्षा का कार्य सौंप सकती है, इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन और ऐसी समीक्षाएं संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी।

- क. एफ आर बी एम लक्ष्य: चौथे संशोधन के अनुसार आकृति 1.1 में दिए गए लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू थे। तदनुसार, लेखापरीक्षा एफ डी और ऋण (केंद्र सरकार और सामान्य सरकारी ऋण) के लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित थी।
- ख. एफ आर बी एम अधिनियम 2003, एफ आर बी एम नियम 2004 के साथ पठित - अंतिम बार 2018 में संशोधित किया गया।
- ग. नीति विवरण जैसे मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण, ऋण पर स्थिति पत्र, बजट भाषण, आदि।

2.3.2 लेखापरीक्षा साक्ष्य

प्रतिवेदन केंद्र सरकार के वित्त लेखा (यू जी एफ ए) 2019-20, एक नज़र में बजट (बी ए जी) 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (ए एफ एस) के आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पी एस ई) और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ई बी आर) के संसाधनों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्यय प्रोफाइल के विवरण 25 और 27 में प्रदर्शित होने वाले डेटा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमाणित वार्षिक खाते और केंद्रीय द्वारा जारी जी डी पी डेटा सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ) समय-समय पर (और नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार अद्यतन), विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया है।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम के अनुपालन पर लेखापरीक्षा मुख्य रूप से आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में की गई थी जो एफ आर बी एम अधिनियम के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है। लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां विभाग को समय-समय पर उत्तरों/टिप्पणियों के लिए जारी की गई थीं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मसौदा प्रतिवेदन 24 अक्टूबर 2021 को जारी की गई थी और उसके बाद मंत्रालय के 14 फरवरी 2022 के विस्तृत उत्तरों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया गया था, जिसके बाद 09 मार्च 2022 को आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तृत चर्चा हुई।

अध्याय

3

एफ आर बी एम लक्ष्य
और उपलब्धियां

3.1 एफ आर बी एम लक्ष्य

एफ आर बी एम अधिनियम 2003 और एफ आर बी एम नियम 2004, समय-समय पर संशोधित, नवीनतम अप्रैल 2018 में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में प्राप्त किए जाने वाले वित्तीय संकेतकों के लिए लक्ष्य और मानदंड प्रदान करते हैं, जैसा कि इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1 और 2** में चर्चा की गई है। संक्षेप में पुनर्गणना करने के लिए, लक्ष्य/बेंचमार्क इस प्रकार थे:

- क. 2018-19 से सकल घरेलू उत्पाद के 0.10 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर राजकोषीय घाटे (एफ डी) की वार्षिक कमी और वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है।
- ख. समय-समय पर संशोधित एफ आर बी एम नियम 7, बी ई के कम से कम 40 प्रतिशत की गैर-ऋण प्राप्तियों के संग्रह के लिए मध्य-वर्ष (अर्थात्, सितंबर के अंत), और वर्ष के लिये आर डी और एफ डी के लिए अधिकतम 70 प्रतिशत मानदंड निर्धारित करता है। यदि ये मानदंड भंग हो जाते हैं, तो संसद में एक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का विवरण होता है।

वित्तीय संकेतकों के लिए उपर्युक्त लक्ष्यों के संबंध में उपलब्धि की स्थिति और सीमा, और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मध्य-वर्ष के बेंचमार्क की चर्चा इस अध्याय के बाद के पैराआकृति में की गई है।

28 फरवरी 2022 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) द्वारा जारी आधार वर्ष 2011-12 के साथ मौजूदा मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए के लिए जी डी पी के दूसरे संशोधित अनुमान को विश्लेषण के लिए अपनाया गया है।

3.2 घाटे के आंकड़ों और सार्वजनिक ऋण का स्नैपशॉट

एम ओ एस पी आई प्रैस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जी डी पी वर्तमान मूल्य पर ₹2,00,74,856 करोड़ थी (28 फरवरी, 2022)। हालांकि, अधिनियम ने एफ डी के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं, पी डी के लिए लक्ष्य नहीं निर्धारित किये गये थे। 2018 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रभावी आर डी लक्ष्यों को समाप्त कर दिया है और एम टी एफ पी विवरणी में राजकोषीय संकेतक के रूप में प्राथमिक घाटा दर्शाने के लिये एफ आर बी एम नियमों को अनिवार्य कर दिये ।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में जब एफ आर बी एम अधिनियम लागू हुआ था, की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा व सार्वजनिक ऋण के राजकोषीय पैरामीटर तथा जी डी पी बढ़ गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 (जी डी पी का 4.25 प्रतिशत) में गिरावट के बाद से वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3.49 प्रतिशत जी डी पी की रेंज से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4.15 प्रतिशत जी डी पी) में राजकोषीय घाटा स्थिर रहा, यद्यपि वित्तीय वर्ष 2019-20 यह बढ़ गया (बी ए जी के अनुसार 4.65 प्रतिशत⁹ जी डी पी तथा यू जी एफ ए के अनुसार 5.14 प्रतिशत जी डी पी) ऊपर चला गया।

एफ डी से ब्याज भुगतान घटाने पर पी डी प्राप्त होता है। इस प्रकार, यह उधार की राशि को मापता है जिसका उपयोग सरकार द्वारा ब्याज भुगतान के अलावा अन्य के लिए किया जा सकता है। पी डी में कमी राजकोषीय स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति दर्शाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, वित्तीय वर्ष 2016-17 में सबसे कम पी डी ₹33,861.67 करोड़ रहा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.22 प्रतिशत था। इसके बाद, पी डी वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.87 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1.00 प्रतिशत की महत्वपूर्ण छलांग के साथ ऊपर की ओर था।

3.3 राजस्व घाटा

3.3.1 मध्य-वर्ष के बेंचमार्क का अनुपालन

एफ आर बी एम नियम, 2004 का नियम 2(सी ए) राजस्व घाटा (आर डी) को किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित करता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आर डी के संबंध में मध्य-वर्ष के मानदंड के अनुपालन की स्थिति आकृति 3.1 में दी गई है।

आकृति 3.1: राजस्व घाटे के लिए निर्धारित मध्य-वर्ष के बेंचमार्क का अनुपालन

| | एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार लक्ष्य | वास्तविक | विचलन |
|---|--------------------------------------|----------|-------|
| मध्य वर्ष मानदंड (30 सितंबर 2019) (बी ई के प्रतिशत के अनुसार) | बी ई के 70% से अधिक नहीं | 99.8% | 29.8% |

स्रोत: 2019-20 के लिए मध्य-वर्ष बेंचमार्क के प्रति वास्तविक के लिए मध्य-वर्ष का विवरण

⁹ बी ए जी (जी डी पी का 4.65%) और यू जी एफ ए (जी डी पी का 5.14%) में राजकोषीय घाटे का अंतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (₹65,443 करोड़), राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता (₹20,607 करोड़) के लिए पूंजी प्रवाह पर कुछ खर्चों को छोड़कर है, और अन्य खर्च ₹11,425 करोड़ है।

आकृति 3.1 से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आर डी के लिए निर्धारित मध्य वर्ष के बेंचमार्क से विचलन था। पूरे वर्ष के लिए बी ई के 70 प्रतिशत पर आर डी रखने के लक्ष्य के मुकाबले, आर डी मध्य वर्ष के बिंदु पर यानी सितंबर 2019 के अंत में बी ई का 99.8 प्रतिशत था।

एफ आर बी एम नियमों के नियम 7 के तहत संसद में पेश किए जाने के लिए आवश्यक बयान में, जब मानदंड लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था, वित्त मंत्रालय ने विचलन को 'कम कर राजस्व' के साथ-साथ 'पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय की उच्च गति' के लिए जिम्मेदार ठहराया। बयान में निधि को न्यूनतम रखना, 'अनुदान के लिए की अनुपूरक मांग की स्थिति में उनकी मांगों के भीतर पहचानी गई बचत से धन के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति' और 'कर प्राप्तियों सहित गैर-ऋण प्राप्तियों के लिए लक्ष्यों की उपलब्धि सुधारात्मक उपायों को सुनिश्चित करने के प्रयास' को सूचीबद्ध किया गया है।

3.3.2 राजस्व और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

आकृति 3.2 कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

आकृति 3.2: राजस्व और पूंजीगत व्यय का रुझान विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | राजस्व व्यय | पूंजीगत व्यय | कुल खर्च | कुल व्यय के प्रतिशत के अनुसार राजस्व व्यय | कुल व्यय के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत व्यय |
|--------------|-------------|--------------|-----------|---|--|
| 2015-16 | 17,79,529 | 2,78,866 | 21,05,667 | 84.51% | 13.24% |
| 2016-17 | 19,33,018 | 2,49,472 | 22,42,501 | 86.20% | 11.12% |
| 2017-18 | 21,40,085 | 3,25,116 | 25,47,337 | 84.01% | 12.76% |
| 2018-19 | 22,61,571 | 3,99,523 | 27,15,761 | 83.28% | 14.71% |
| 2019-20 | 26,15,320 | 3,87,744 | 30,48,206 | 85.80% | 12.72% |

स्रोत: संबंधित वर्षों का यू जी एफ ए

आकृति 3.2 से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में, जबकि कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में 2019-20 के दौरान वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय में कुल व्यय के अनुपात के साथ-साथ दोनों में कमी आई।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक के साथ पूंजीगत व्यय के अनुमानों की तुलना में, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एम टी ई एफ में प्रारंभिक प्रक्षेपण ₹3,90,000 करोड़ के लिए था, जिसे संशोधित करके वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एम टी ई एफ में ₹3,27,197 करोड़ और ₹3,38,569 करोड़ का बजट था और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹3,48,907 करोड़ का संशोधन किया। ₹3,87,744 करोड़ का वास्तविक पूंजीगत व्यय हालांकि बजटीय अनुमानों से अधिक था लेकिन प्रारंभिक अनुमान से थोड़ा कम था।

3.4 राजकोषीय घाटा

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 2(ए) एफ डी को परिभाषित करती है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सी एफ आई से कुल संवितरण की अधिकता, ऋण प्राप्तियों और ऋण चुकौती को छोड़कर, निधि में कुल प्राप्तियों से अधिक है।

3.4.1 राजकोषीय घाटे का लक्ष्य

जात हो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अप्रैल 2018 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के एफ डी लक्ष्य को प्राप्त किया जाना था, और वार्षिक कमी लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.10 प्रतिशत तय किया गया था। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 तक तीन प्रतिशत के एफ डी लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके के प्रति वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.30 प्रतिशत के एफ डी लक्ष्य में बताया गया है।

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में सी एफ आई में गैर-ऋण प्राप्तियों पर सी एफ आई से कुल संवितरण (ऋण चुकौती को छोड़कर) की अधिकता है।

आकृति 3.3: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे की गणना

(₹ करोड़ में)

| क्रमांक | विवरण | राशि (यूजीएफ के अनुसार) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | गैर-ऋण प्राप्तियां | 20,17,080 |
| | राजस्व प्राप्तियां | 19,48,084 |
| | विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 50,349 |
| | ऋण और अग्रिम की वसूली | 18,647 |
| 2 | कुल संवितरण (ऋण चुकौती को छोड़कर) | 30,48,205 |
| | राजस्व व्यय | 26,15,320 |
| | पूंजीगत व्यय | 3,87,744 |
| | ऋण और अग्रिम | 45,142 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 3. | यू जी एफ ए के अनुसार राजकोषीय घाटा (2-1), | 10,31,126 |
| 4. | यू जी एफ ए के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में एफ डी | 5.14% |
| 5. | बी ए जी के अनुसार, राजकोषीय घाटा | 9,33,651 |
| 6. | बी ए जी के अनुसार, एफ डी सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में | 4.65% |

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट दस्तावेज और यू जी एफ ए

राजकोषीय घाटे में ₹97,475 करोड़ की अंतर राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी प्रवाह पर कुल व्यय के कारण बी ए जी (सकल घरेलू उत्पाद का 4.65%) तथा यू जी एफ ए (सकल घरेलू उत्पाद का 5.14%) में दर्शाई गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए यू जी एफ ए के विवरण 11 और बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 में भी, राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता (₹20,607 करोड़) जहां केंद्र राज्यों के लिये ऋणों के संवितरण के लिए केवल माध्यम एक एजेंसी है और अन्य व्यय की ₹11,425 करोड़ की राशि को प्राप्तियों के साथ निवल किया गया था।

3.4.2 बजट अनुमान के साथ मध्य-वर्ष के मानदंड का अनुपालन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एफ डी के संबंध में मध्य-वर्ष के बेंचमार्क के अनुपालन की स्थिति आकृति 3.4 में दी गई है।

आकृति 3.4: राजकोषीय घाटे के लिए निर्धारित मध्य-वर्ष के बेंचमार्क का अनुपालन

| | एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार लक्ष्य | वास्तविक | विचलन |
|--|--------------------------------------|----------|-------|
| मध्य वर्ष बेंचमार्क (30 सितंबर 2019) (बी ई के प्रतिशत के अनुसार) | बी ई के 70% से अधिक नहीं | 92.6 | 22.6 |

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मध्य-वर्ष बेंचमार्क के प्रति वास्तविक के लिए मध्य-वर्ष का विवरण।

30 सितंबर 2019 तक राजकोषीय घाटा (एफ डी) को पूरे वर्ष के बजट अनुमान के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं रखने के मध्य-वर्ष के बेंचमार्क के विपरीत, वास्तविक राजकोषीय घाटा मध्य वर्ष तक बजट अनुमान के 92.60 प्रतिशत तक पहुंच गया।

3.4.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटा-अनुमान और वास्तविक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफ डी के लिए एफ आर बी एम लक्ष्यों के प्रति बी ई, आर ई और वास्तविक का विवरण आकृति 3.5 में दिया गया है।

आकृति 3.5: वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा-अनुमान और वास्तविक

(₹ करोड़ में)

| घटक | कुल खर्च | गैर-ऋण प्राप्ति | राजकोषीय घाटा (एफडी) | सकल घरेलू उत्पाद |
|---|-----------|-----------------|----------------------|------------------|
| बजट अनुमान | 27,34,428 | 24,19,241 | 3,15,187 | 2,10,07,439 |
| संशोधित अनुमान | 27,42,684 | 22,72,751 | 4,69,933 | 2,04,42,233 |
| वास्तविक | 30,48,206 | 20,17,080 | 10,31,126 | 2,00,74,856 |
| बजट अनुमानों से वास्तविक की भिन्नता | 3,13,778 | -4,02,161 | 7,15,939 | |
| संशोधित अनुमानों से वास्तविक की भिन्नता | 3,05,522 | -2,55,671 | 5,61,193 | |

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सार, बी ई और आर ई के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 का ए एफ एस, वास्तविक के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का यू जी एफ ए, और वास्तविक जी डी पी आंकड़े नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।

बी ई से एफ डी के संबंध में पर्याप्त अंतर गैर-ऋण प्राप्ति संग्रह अनुमानों से काफी कम होने के कारण था। सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बी ए जी¹⁰ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए यू जी एफ ए के अनुसार कुल व्यय के बीच के अंतर का भी समाधान कर सकती है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफ आर बी एम लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.30 प्रतिशत था, वर्ष के लिए बी ई ने 1.5 प्रतिशत से कम स्तर पर यही अनुमान लगाया। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.30 प्रतिशत हो गया। इस ऊर्ध्वगामी संशोधन को कम गैर-ऋण प्राप्ति के साथ-साथ संशोधित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।


मंत्रालय ने भिन्नता को (फरवरी 2022) सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्निहित हास के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भिन्नताओं को न्यूनतम स्तर पर रखने के प्रयास किए जा रहे थे।

3.4.4 गैर-ऋण प्राप्ति के माध्यम से कुल व्यय का कवरेज

आकृति 3.6 पिछले पांच वर्षों में गैर-ऋण प्राप्ति द्वारा कवर किए गए कुल व्यय के अनुपात को दर्शाता है। विवरण अनुलग्नक 3.1, 3.2 और 3.3 में संदर्भित किया जा सकता है।

¹⁰ बी ए जी 2022 के अनुसार, कुल व्यय, गैर-ऋण प्राप्ति और राजकोषीय घाटा के लिए वास्तविक क्रमशः ₹26,86,330 करोड़, ₹17,52,679 करोड़, और ₹9,33,651 करोड़ थे। बी ई और आर ई आंकड़ों से वास्तविक की भिन्नता का विश्लेषण करने के लिए, ए एफ एस में उपलब्ध शीर्ष-वार ब्रेकअप का उपयोग किया गया है।

आकृति 3.6: गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों का यू जी एफ ए। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जी डी पी के आंकड़े अपडेट किए गए हैं।

पिछले चार वित्तीय वर्षों 2015-16 से 2018-19 के लिए, गैर-ऋण प्राप्तियों ने कुल व्यय को 76.02 प्रतिशत से 71.13 प्रतिशत की सीमा में वित्तपोषित किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में, गैर-ऋण प्राप्तियां कुल व्यय का 66.17 प्रतिशत का वित्तपोषण करने में सक्षम थीं।

3.5 राजकोषीय नीति विवरणी में वास्तविक की तुलना में किए गए अनुमान

एफ आर बी एम अधिनियम के बताये गये उद्देश्यों में से एक यह है कि केंद्र सरकार मध्यम अवधि के ढांचे में अपने राजकोषीय नीति का संचालन करेगी। इसे प्राप्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 3 में सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण (ए एफ एस) अनुदान की मांग से साथ संसद के प्रचालन दोनों सदनों में राजकोषीय नीति विवरण, अर्थात् मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) वक्तव्य, राजकोषीय नीति रणनीति (एफ पी एस) विवरण और मैक्रो-आर्थिक ढांचा (ए म एफ) विवरण रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, 2012 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के द्वारा, एक मध्यम अवधि के व्यय ढांचे (एम टी ई एफ) विवरण को भी संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

अप्रैल 2018 में एफ आर बी एम अधिनियम के संशोधन के बाद, अलग-अलग विवरणों के बजाय एक एकल मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति (एम टी एफ पी सह एफ पी एस) विवरण पेश किया गया था। मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (एम ई एफ) और माध्यम अवधि व्यय-टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क (एम टी ई एफ) विवरण को पहले की तरह संसद में रखा जाना था। नियम यह भी प्रदान करते हैं कि एम टी एफ पी सह एफ पी एस में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार एफ डी, आर डी, प्राथमिक घाटा, कर राजस्व,

गैर-कर राजस्व और केंद्र सरकार के ऋण के लिए तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे। एम टी एफ पी सह एफ पी एस विवरण में राजकोषीय दृष्टिकोण, सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमानों और प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों के बारे में विस्तार से अनुमान लगाने की भी आवश्यकता थी। एम टी ई एफ विवरण सभी निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए अंतर्निहित मान्यताओं और शामिल जोखिमों के विवरण के साथ तीन साल का रोलिंग लक्ष्य प्रदान करता है।

निम्नलिखित आकृति 3.7 में वित्तीय नीति विवरणों और बजट दस्तावेजों में निहित अनुमानों/अनुमानों के प्रति वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय के बीच अंतर का विश्लेषण शामिल है।

आकृति 3.7: बजट में किए गए अनुमानों/अनुमानों के प्रति वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | प्राप्तियां | एम टी एफ पी 2017-18 | एम टी एफ पी 2018-19 | बी ई 2019-20 | आर ई 2019-20 | वास्तविक 2019-20 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| (1) | कर राजस्व | 16,27,275 | 16,74,523 | 16,49,582 | 15,04,587 | 13,59,382 |
| (2) | गैर -कर राजस्व | 2,74,735 | 2,72,110 | 3,13,179 | 3,45,514 | 3,27,157 |
| (3) | राजस्व प्राप्तियां | 19,02,010 | 19,46,633 | 19,62,761 | 18,50,101 | 16,86,539 |
| | जिसकी पूंजीगत प्राप्तियां: | | | | | |
| (4) | (i) ऋणों और अग्रिमों की वसूली | 10,000 | 10,000 | 14,828 | 16,605 | 18,647 |
| (5) | (ii) अन्य गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां | 40,000 | 60,000 | 1,05,000 | 65,000 | 50,349 |
| (6) = (3+4+5) | गैर-ऋण प्राप्तियां | 19,52,010 | 20,16,633 | 20,82,589 | 19,31,706 | 20,17,080 |
| (7) = (10 -6) | (iii) उधार-सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां | 6,43,763 | 6,25,588 | 7,03,760 | 7,66,846 | 10,31,125 |

| | व्यय | एम टी ई एफ 2017-18 | एम टी ई एफ 2018-19 | बी ई 2019-20 | आर ई 2019-20 | वास्तविक 2019-20 |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| (8) | व्यय (सी) | 22,05,772 | 23,15,024 | 24,47,780 | 23,49,645 | 26,15,320 |
| (9) | पूंजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित) | 3,90,000 | 3,27,197 | 3,38,569 | 3,48,907 | 4,32,886 |
| (10) | कुल व्यय | 25,95,773 | 26,42,221 | 27,86,349 | 26,98,552 | 30,48,206 |
| (11) = (6 - 10) | राजकोषीय घाटा | -6,43,763 | -6,25,588 | -7,03,760 | -7,66,846 | -10,31,125 (यू जी एफ ए) -9,33,651 (बी ए जी) |
| (12) | सकल घरेलू उत्पाद | 2,11,33,448 | 2,09,31,533 | 2,10,07,439 | 2,04,42,233 | 2,00,74,856 |

स्रोत: वास्तविक के लिए बी ई, आर ई और यू जी एफ ए के लिए बी ए जी (गैर-कर राजस्व को छोड़कर, जो बी ए जी से लिया गया है), और सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक आंकड़ों को नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अद्यतन किया गया है। घाटे के आंकड़े नकारात्मक संकेत के साथ दिखाए गए हैं।


3.5.1 कर और गैर-कर राजस्व के लिये अनुमान

प्रत्येक वर्ष के एम टी एफ पी विवरण सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व और गैर-कर राजस्व¹¹ का अनुमान देते हैं। इन अनुमानों की तुलना वास्तविक और इस खंड में विश्लेषण की गई विविधताओं से की गई है।

¹¹ एनटीआर प्राप्तियों में आरबीआई, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश, मुख्य रूप से राज्यों से ऋण पर ब्याज प्राप्तियां शामिल हैं। अन्य एनटीआर प्राप्तियों में दूरसंचार प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्तियां, उपयोगकर्ता प्रभार और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगाए गए शुल्क शामिल हैं।

आकृति 3.8: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर राजस्व अनुमान
(विवरण के लिए अनुलग्नक 3.4 देखें)

(₹ करोड़ में)




इस प्रकार, अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों में कमी थी। यह निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी), आदि में कटौती के कारण था।

संकेतकों के अनुमानों के साथ, कर राजस्व के अनुमानों में भी लगातार संशोधन और अंत में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।

आकृति 3.9: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गैर-कर राजस्व अनुमान
(विवरण के लिए अनुलग्नक 3.5 देखें)

(₹ करोड़ में)




कर राजस्व अनुमानों के प्रति, गैर-कर राजस्व अनुमानों को भी ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। आर ई को छोड़कर, वास्तविक गैर-कर राजस्व संग्रह अनुमानों की तुलना में काफी अधिक था।

3.5.2 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के लिए अनुमान

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 'ऋण और अग्रिमों की वसूली' और 'अन्य गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां' शामिल हैं जो मुख्य रूप से विनिवेश प्राप्तियां¹² हैं।

आकृति 3.10: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का अनुमान
(विवरण के लिए अनुलग्नक 3.6 और 3.7 देखें)

(₹ करोड़ में)



'ऋणों और अग्रिमों की वसूली' के अनुमानों में लगातार वृद्धि की गई, और वास्तविक आर ई से 12 प्रतिशत अधिक¹³ थे। दूसरी ओर, 'अन्य गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों' के मामले में, आर ई चरण में अनुमान काफी कम था, जबकि वास्तविक बी ई की तुलना में 52.05 प्रतिशत और आर ई की तुलना में 22.54 प्रतिशत कम थे।

बी ई/आर ई से अंतर इसलिए था क्योंकि योजना के अनुसार सी पी एस ई का विनिवेश अमल में नहीं लाया जा सका।

3.5.3 एफडी के वास्तविक अनुमानों की तुलना में अनुमानों का विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एम टी एफ पी में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफ डी हेतु अनुमान तीन प्रतिशत पर रखा गया था, जो कि विकास पुनरुद्धार की उम्मीदों के आधार पर और वित्तीय वर्ष 2018-19 के मामले में व्यय और कर सुधारों पर आधारित था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एम टी एफ पी ने एफ डी में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बी ई ने एफ डी में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसे 'राजकोषीय शुद्धता के पथ पर' वापसी के रूप में देखा गया। यह उच्च प्राप्तियों और व्यय

¹² व्यक्तिगत लेनदेन से विनिवेश प्राप्तियों का डेटा डी आई पी ए एम वेबसाइट से लिया गया है।

¹³ बी ए जी वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक ₹18,316 करोड़ था, जिसमें आर ई के आंकड़े से भिन्नता 10.30 प्रतिशत होगी।

के युक्तिकरण की अपेक्षाओं पर आधारित था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये आई में, एफ डी का अनुमान बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया था। यह बताते हुए कि यह 31 मार्च 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के आस्थगित लक्ष्य की ओर एफ डी की क्रमिक कमी को दर्शाता है और यह एफ आर बी एम नियम 2004 के नियम 3 के अनुरूप था, जिसमें एफ डी में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत या उससे अधिक की वार्षिक कमी की परिकल्पना की गई है। बढ़े हुए लक्ष्य के लिए कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

3.6 सरकारी ऋण के लिए लक्ष्य

2018 में संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम ने एक नई धारा 2 (ए ए) पेश की, जिसने किसी भी तारीख में केंद्र सरकार के ऋण की अवधारणा को परिभाषित किया, जिसमें शामिल हैं:

भारत की समेकित निधि (सीएफआई) की सुरक्षा पर कुल बकाया देनदारियां, जिसमें मौजूदा विनिमय दरों पर मूल्यांकित बाहरी ऋण शामिल हैं

+

भारत के लोक खाते में कुल बकाया देनदारियां

+

केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी भी निकाय-कॉर्पोरेट या अन्य इकाई की वित्तीय देनदारियां, जिसे सरकार ने वार्षिक वित्तीय विवरण से चुकाना या सेवा देना है, तिथि के अंत में नकद शेष राशि से कम करके।

इसके अलावा, संशोधित अधिनियम की धारा 2(बी बी) में "सामान्य सरकारी ऋण" की अवधारणा को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कुल ऋणों के योग के रूप में शामिल किया गया है, इसमें अंतर-सरकारी देनदारियां शामिल नहीं हैं।

ऋण संकेतकों के संबंध में निर्धारित राजकोषीय प्रबंधन लक्ष्य इस प्रकार थे:

- वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋण को **सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए**
- वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को **सकल घरेलू उत्पाद का 60 प्रतिशत** करने के लिए

हालांकि, नियम मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्राप्त किए जाने वाले किसी भी लक्ष्य के लिए प्रदान नहीं करते हैं।

3.6.1 केंद्र सरकार के ऋण

यू जी एफ ए से निकाले गए केंद्र सरकार के ऋण की स्थिति आकृति 3.11 में दी गई है।

आकृति 3.11: वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में केंद्र सरकार के ऋण का विवरण

| | वस्तु | यू जी एफ ए के अनुसार (₹ करोड़ में) |
|---|--|------------------------------------|
| क | संघ सरकार का आंतरिक ऋण | 80,20,490 |
| ख | बाह्य ऋण (वर्तमान दर पर) | 5,44,394 |
| ग | सार्वजनिक खाता देयताएं | 18,78,733 |
| घ | सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ईबीआर | 1,11,870* |
| ङ | कम: भारत सरकार का निवल नकद शेष | 55,573 |
| च | कुल केंद्र सरकार ऋण (क+ख+ग+घ+ङ) | 1,04,99,914 |
| छ | सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल केंद्र सरकार ऋण | 52.30% |

*यू जी एफ ए में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 से प्राप्त किया गया है।

एफ आर बी एम अधिनियम की उपलब्धि ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत के लक्ष्य को 52.30 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से हासिल करने का लक्ष्य रखा है, केवल सकल घरेलू उत्पाद में बेहतर वृद्धि के साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है।

3.6.2 सामान्य सरकारी ऋण

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 2, जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया है, सामान्य सरकारी ऋण को अंतर-सरकारी देनदारियों को छोड़कर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कुल ऋण के रूप में परिभाषित करता है। इसके अलावा, एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 4 वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होने का प्रावधान करती है। यद्यपि यह अवधि-अंत लक्ष्य अधिनियम में प्रदान किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के ऋण के रूप में, सामान्य सरकारी ऋण के मामले में भी एफ आर बी एम नियमों के तहत वार्षिक कमी लक्ष्य निर्धारित करने वाली अपेक्षित योजना तैयार नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त एफ आर बी एम अधिनियम की परिभाषा के अनुसार सामान्य सरकारी ऋण की गणना उपलब्ध नहीं थी।

सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 68.6 प्रतिशत था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सामान्य सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विवरण शामिल है, प्रगति पर था।

3.7 सुझाव

सिफारिश 3क : सरकार को अनुमानों की प्रक्रिया की समीक्षा करने की जरूरत है। इसके अलावा, चूंकि मध्य-वर्ष के बेंचमार्क, खर्चों को नियंत्रित करने के लिए चेकपॉइंट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए 30 सितंबर को समाप्त छमाही तक निर्धारित सीमा के भीतर खर्चों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

सिफारिश 3ख : वित्त मंत्रालय यू जी एफ ए से परिकलित और बी ए जी में उल्लिखित एफ डी आंकड़ों के बीच अंतर का समाधान कर सकता है।

सिफारिश 3ग : केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक केंद्र सरकार के ऋण और सामान्य सरकारी ऋण के लिए एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।

अध्याय

4

ऋण स्थिरता

4.1 परिचय

केंद्र सरकार का ऋण, जैसा कि पैरा 3.6.1 में दिखाया गया है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 52.30 प्रतिशत (₹104,99,194 करोड़) था। यह वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 12.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जब यह सकल घरेलू उत्पाद का 49.33 प्रतिशत था (₹93,23,568 करोड़)।

4.2 ऋण स्थिरता विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऋण स्थिरता संकेतक नकारात्मक था जो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान के विपरीत था।

ऋण स्थिरता को सरकार की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में एक स्थिर ऋण बनाए रखता है और अपने ऋण को चुकाने की क्षमता पर विचार करता है। ऋण के परिमाण पर विचार किए बिना किसी देश की ऋण स्थिरता का निर्धारण करने के लिए विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है। ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए) वर्तमान से शुरू होने वाली अवधि के दौरान ऋण संबंधी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की व्यवहार्यता पर विचार करता है और अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है।

ऋण-जीडीपी अनुपात¹⁴ डीएसए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुपात मुख्य रूप से बढ़ता है क्योंकि ऋण के उच्च स्तर से उच्च कुल ब्याज व्यय होता है, और बदले में उच्च घाटा और ऋण होता है। ऋण की स्थिरता का विश्लेषण आगामी पैराग्राफों में ऋण स्थिरता संकेतकों के माध्यम से किया गया है।

4.2.1 ऋण स्थिरता संकेतक

आकृति 4.1 2015-16 से 2019-20 तक पांच साल की अवधि के दौरान केंद्र सरकार की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

¹⁴ अधिक विशेष रूप से, केंद्र सरकार ऋण/जीडीपी अनुपात

आकृति 4.1: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | ऋण स्थिरता संकेतक | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | सार्वजनिक ऋण ¹⁵ | 57,11,424 | 61,49,818 | 68,46,557 | 75,49,380 | 85,64,884 |
| 2. | बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर | 11.89% | 7.68% | 11.33% | 10.27% | 13.45% |
| 3. | केंद्र सरकार ऋण ¹⁶ | 69,53,272 | 75,48,361 | 83,50,444 | 93,23,568 | 104,99,914 |
| 4. | केंद्र सरकार के बकाया ऋण की वृद्धि दर | 10.74% | 8.56% | 10.63% | 11.65% | 12.62% |
| 5. | मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद | 137,71,874 | 153,91,669 | 170,90,042 | 188,99,668 | 200,74,856 |
| 6. | सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर | 10.46% | 11.76% | 11.03% | 10.59% | 6.22% |
| 7. | केंद्र सरकार ऋण/ सकल घरेलू उत्पाद अनुपात | 50.49% | 49.04% | 48.86% | 49.33% | 52.30% |
| 8. | वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद | 113,69,493 | 123,08,193 | 131,44,582 | 140,03,316 | 145,69,268 |
| 9. | वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर | 8.00% | 8.26% | 6.80% | 6.53% | 4.04% |
| 10. | केंद्र सरकार के कर्ज पर चुकाया गया ब्याज ¹⁷ | 4,57,270 | 5,04,512 | 5,43,707 | 5,95,552 | 6,55,371 |
| 11. | कुल राजस्व प्राप्तियां | 14,36,160 | 16,15,988 | 16,91,143 | 18,06,463 | 19,48,084 |
| 12. | औसत केंद्र सरकार ऋण ¹⁸ | 66,16,105 | 72,50,817 | 79,51,903 | 88,39,506 | 99,11,741 |
| 13. | केंद्र सरकार के ऋण पर औसत ब्याज लागत ¹⁹ | 6.91% | 6.96% | 6.84% | 6.74% | 6.61% |
| 14. | राजस्व प्राप्तियों के लिए केंद्र सरकार के | 31.84% | 31.22% | 32.15% | 32.97% | 33.64% |

¹⁵ सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण (वर्तमान मूल्य पर) का योग है (यूजीएफए का विवरण 2)।

¹⁶ केंद्र सरकार के ऋण में सार्वजनिक ऋण (वर्तमान मूल्य पर आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण), केंद्र सरकार की सार्वजनिक खाता देनदारियां (यूजीएफए का विवरण 2), और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (केंद्रीय बजट के विवरण 27 से लिया गया) शामिल हैं, जो नकद शेष से घटाए गए हैं (यूजीएफए का विवरण 13)

¹⁷ ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (यूजीएफए का विवरण 1)

¹⁸ वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया ऋण का औसत

¹⁹ औसत बकाया ऋण के अनुपात के रूप में चुकाया गया ब्याज


| | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | ऋण पर ब्याज भुगतान | | | | | |
| 15. | सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों के लिए सार्वजनिक ऋण भुगतान | 86.58% | 92.58% | 89.60% | 89.74% | 86.65% |
| 16. | ब्याज प्रसार ²⁰ | 3.55% | 4.80% | 4.19% | 3.85% | -0.39% |
| 17. | क्वांटम प्रसार ²¹ | 2,46,841 | 3,62,594 | 3,50,282 | 3,58,909 | -41,373 |
| 18. | प्राथमिक घाटा ²² | 1,28,227 | 33,287 | 1,41,800 | 1,88,510 | 3,75,755 |
| 19. | ऋण स्थिरीकरण ²³ | 1,18,614 | 3,29,307 | 2,08,482 | 1,70,399 | -4,17,128 |

स्रोत: संबंधित वर्षों के केंद्र सरकार के वित्त लेख, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपडेट किया गया है।

यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्वांटम स्प्रेड नकारात्मक हो गया। इसके अलावा, पी डी वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आंकड़ों से दोगुना हो गया, जिससे जी डी पी में कम वृद्धि हुई और परिणामी नकारात्मक ब्याज प्रसार के कारण ऋण स्थिरीकरण संकेतक नकारात्मक हो गए।

आकृति 4.2 पिछले पांच वर्षों में विभिन्न ऋण स्थिरता संकेतकों में रुझान दिखाता है।

आकृति 4.2: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति



²⁰ ब्याज प्रसार: सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर - बकाया ऋण की औसत ब्याज दर

²¹ क्वांटम स्प्रेड: बकाया केंद्र सरकार ऋण * ब्याज स्प्रेड / 100

²² संबंधित वर्षों के केंद्र सरकार के वित्त खातों से

²³ प्राथमिक घाटे से कम हुआ क्वांटम स्प्रेड

आकृति 4.2 से, यह देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार का कर्ज पिछले पांच वर्षों में बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, यह वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 12.62 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ऋण-जी डी पी अनुपात 50.49 प्रतिशत था, वित्तीय वर्ष 2016-17 (49.04 प्रतिशत पर) और वित्तीय वर्ष 2017-18 (48.89 प्रतिशत) के दौरान मामूली सुधार देखा गया, जब वृद्धिशील ऋण की दर, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से कुछ ही कम थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, ऋण वृद्धि दर ने मौजूदा कीमतों पर नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण-जी डी पी अनुपात क्रमशः 49.33 प्रतिशत और 52.30 प्रतिशत बढ़ गया। हालांकि, ऋण पर औसत ब्याज लागत में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी (वित्त वर्ष 2016-17 से 6.96 प्रतिशत, 6.84 प्रतिशत, 6.74 प्रतिशत और अंत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6.61 प्रतिशत); कर्ज पर चुकाया गया वास्तविक ब्याज पांच साल की अवधि में लगातार बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में भुगतान किया गया ब्याज ₹4,57,270 करोड़ था जो समय ऋण के विस्तार के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर ₹6,55,371 करोड़ हो गया। साथ ही, राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ऋण चुकौती के लिए ऊपर बताए गए ब्याज भुगतान में वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद से लगातार वृद्धि हुई है। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों के लिए सार्वजनिक ऋण चुकौती के प्रतिशत में वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद से गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी और वित्तीय वर्ष 2016-17 में 92.58 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 86.65 प्रतिशत हो गई है।

4.3 सुझाव

सिफारिश 4ए: सरकार अपने ऋण में कमी के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार कर सकती है ताकि ऋण चुकाने पर कम धनराशि खर्च हो, जिसके परिणामस्वरूप गैर-ऋण प्राप्तियां, व्यय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध हो।

अध्याय

5

अतिरिक्त बजटीय संसाधन

5.1 ईबीआर का प्रकटीकरण

| बजट | यूजीएफए | एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरण |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से सरकार ने व्यय प्रोफाइल के एक भाग के रूप में एक नया विवरण 27 सम्मिलित करके बजट दस्तावेजों में ई बी आर की राशि का खुलासा करना शुरू कर दिया। यह विवरण सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्ण रूप से सेवित बॉन्ड एन एस एस एफ ऋणों और अन्य संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित ई बी आर को दर्शाता है। | ऐसा कोई खुलासा नहीं | ऐसा कोई खुलासा नहीं |

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, विवरण 27 (अनुलग्नक 5.1 के रूप में संलग्न) ने खुलासा किया कि ₹22,006.30 करोड़ की राशि सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बॉन्ड जारी करने के माध्यम से व्यवस्थित की गई थी और अन्य ₹1,26,310 करोड़ की व्यवस्था राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एन एस एस एफ) से ऋण के माध्यम से की गई थी। सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांडों के माध्यम से व्यवस्थित निधि का संचयी शेष ₹1,11,870 करोड़ था और जो ₹3,66,310 करोड़ वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में एन एस एस एफ से ऋण के रूप में निकाला गया था।

5.2 अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के विवरण में अपर्याप्तता

5.2.1 विवरण 27 के प्रारूप में कमियां

क. विवरण के नीचे नोट के माध्यम से प्रकटीकरण

सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बॉन्ड के माध्यम से व्यवस्थित धन, और राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता के अलावा; कुछ विवरण आकृति के नीचे नोट के रूप में शामिल किए गए हैं, जो इसी तरह भविष्य के बजट में सी एफ आई से सेवित होंगे लेकिन अभी भी आकृति में शामिल नहीं किए गए हैं।

उदाहरण के लिए, स्टेटमेंट के नीचे दिए गए नोट की पहली प्रविष्टि ए आई ए एच एल को हस्तांतरित एयर इंडिया के ऋण को वित्तपोषित करने के लिए ₹7,000 करोड़ के ई बी आर जुटाने की अनुमति एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (ए आई ए एच एल) को देने के संबंध में थी। यह जानकारी पूरी तरह से सरकारी बांडों के संबंध में समान जानकारी के साथ विवरण में ही प्रदान की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नोट किया कि विवरण 27 ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित ई बी आर उधार (आर ई और बी ई) के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान व्यवस्थित वास्तविक ई बी आर को सूचीबद्ध किया, जो केंद्र सरकार के ऋण का हिस्सा था।

इसके अलावा, इसी तरह का एक विवरण, एफ आर बी एम नियमों के तहत अनिवार्य है - वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता, सरकारी देयता की मात्रा (मंत्रालय के नाम, परियोजना का नाम और इसके मूल्य, सरकार द्वारा प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी और वर्ष-वार विवरण के साथ) वार्षिकी राशि और भुगतान/सहायता के लिए अवधि) को सूची बद्ध करती है और इस प्रकार, पारदर्शी रूप से प्रत्येक वर्ष बजट के माध्यम से भुगतान की गई राशि, और भुगतान न की गई राशि, यदि कोई हो, के साथ-साथ भविष्य के बजट आवंटन की आवश्यकता वाली राशि का खुलासा करता है।

इसलिए, यह देखते हुए कि विवरण 27 सरकार की एक प्रकार की ऋण देयताओं का एक वास्तविक प्रकटीकरण है, इसका प्रारूप यू जी एफ ए के विवरण 14 के अनुरूप ऋण का विवरण और सरकार के अन्य ब्याज-असर देयतायें भी प्रदान करना चाहिए।

क) वर्ष-वार चुकाने योग्य राशि (मूल और ब्याज स्पष्ट रूप से) जिसे भविष्य के बजट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा,

ख) उधार लेने की अवधि, और ब्याज की दर जिस पर वित्त पोषण की व्यवस्था की गई थी, और

ग) भुगतान न की गई राशि की मात्रा जिसे अगले बजट में ले जाया गया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2021) में कहा कि विवरण 27 ई बी आर के माध्यम से निवेश के संबंध में सिर्फ एक बयान था। बजट से वित्तपोषित की जाने वाली ई बी आर (मूलधन और ब्याज) की चुकौती राशि मांग की संबंधित योजना के लिए बजट अनुमान के विवरण (एस बी ई) में परिलक्षित होती थी।

मंत्रालय का उत्तर विवरण 27 की प्रकृति के विपरीत है जो ईबीआर के माध्यम से निवेश और उस पर उत्पन्न होने वाली ऋण देयता को दर्शाता है ।

5.2.2 विवरण 27 के नीचे नोट का अपूर्ण प्रकटीकरण

लेखापरीक्षा ने पाया कि विवरण के नीचे नोट के रूप में दिखाई गई राशि इस सीमा तक कम थी कि इसमें निम्नलिखित के बारे में विवरण शामिल नहीं था:

क. भारतीय रेलवे के वित्तपोषण के लिए आईआरएफसी ऋण को ईबीआर के रूप में शामिल नहीं करना

भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आई आर एफ सी), रेल मंत्रालय (एम ओ आर) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जो 1987-88 से रेलवे में पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए बाजार से उधारी जुटा रहा है। आई आर एफ सी बाजार से धन जुटाता है और इस प्रकार जुटाई गई धनराशि से रेलवे का रोलिंग स्टॉक खरीदता है और फिर उन परिसंपत्तियों के रेल मंत्रालय को पट्टे पर देता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्तपोषित नए रोलिंग स्टॉक के साथ, आई आर एफ सी द्वारा पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति, भारतीय रेलवे के तहत परिचालन में सभी रोलिंग स्टॉक के 70% से अधिक को दर्शाता है। आई आर एफ सी से पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों पर, रेलवे आई आर एफ सी को ऋण चुकाने में सक्षम बनाने के लिए अर्ध-वार्षिक रूप से अग्रिम रूप से पट्टे किराए का भुगतान करता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, आई आर एफ सी ने अपने वित्त पोषण कार्यक्रम 'अतिरिक्त-बजटीय संसाधन-संस्थागत वित्त (ई बी आर-आई एफ)' के तहत रेलवे परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 'राष्ट्रीय परियोजनाओं' हेतु ₹2,500 करोड़ सहित ₹36,400 करोड़ रुपये जुटाए।

आई आर एफ सी रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) को उनके द्वारा कार्यान्वयन के तहत बैंक योग्य रेलवे परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बाजार निधि भी प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में आई आर एफ सी ने एम ओ आर को ₹1,407.96 करोड़ की धनराशि प्रदान की जो आर वी एन एल को दी गई थी, आई आर एफ सी अपने ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए आर वी एन एल को धनराशि प्रदान करती है (वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹534.31 करोड़)।

व्यय प्रोफाइल, बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के विवरण 27 के नीचे प्रकटीकरण नोट में लिखा है, 'रेलवे मंत्रालय को अपनी राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹10,200 करोड़ (वित्तीय वर्ष 18-19 में ₹5,200 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹5,000 करोड़) तक की उधार के द्वारा निधि की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। भुगतान देयता सरकार के सामान्य राजस्व पर वहन की जा रही है।'

इस प्रकार, विवरण 27 उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण था, जिसमें भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक, पूंजीगत व्यय, और आरवीएनएल के माध्यम से बैंक योग्य रेलवे परियोजना के वित्तपोषण के लिए ₹1,407.96 करोड़ की राशि के लिए आई आर एफ सी द्वारा जुटाए गए ₹36,400 करोड़ का खुलासा नहीं किया गया था। चूंकि रेल मंत्रालय, आई आर एफ सी को सी एफ आई से आहरण के माध्यम से भविष्य के बजट से पट्टा किराया आदि के माध्यम से भुगतान करेगा, यह इन्टर-जेनरेशनल इक्विटी को प्रभावित करेगा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2022) में कहा कि आई आर एफ सी से वित्तपोषण 'लीजिंग मॉडल' का रूप लेता है जिसमें आई आर एफ सी द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का स्वामित्व उसके पास होता है और पट्टा अवधि में भारतीय रेलवे को 'उपयोग का अधिकार' दिया जाता है। चूंकि वित्तीय प्रबंधन की भाषा में पट्टे के माध्यम से वित्तपोषण का रूप सार्वभौमिक रूप से ऑफ-बैलेंस शीट फंडिंग के रूप में स्वीकार किया जाता है, भारत सरकार ने आई आर एफ सी द्वारा रेलवे परिसंपत्तियों के वित्त पोषण को सरकारी ऋण के दायरे से बाहर रखा है और विभिन्न वित्तीय संकेतकों की गणना के लिए इसे शामिल नहीं किया गया है।

चूंकि मंत्रालय ने टिप्पणी को स्वीकार कर लिया है, इसलिए इन उधारों को विवरण 27 में पूरी तरह से प्रकट करने की आवश्यकता है।

ख. ए आई ए एच एल द्वारा जुटाए गए ₹14,985 करोड़ के ऋण का खुलासा न करना

ए आई ए एच एल एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया है, और इसका अपना कोई व्यवसाय प्रचालन नहीं है। इस प्रकार, ए आई ए एच एल द्वारा उधार ली गई कुल राशि, भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित/या गारंटी के बावजूद, अनुवर्ती वर्षों के बजटीय आवंटन से चुकानी होगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (ए आई ए एच एल) के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों से यह देखा गया कि ए आई ए एच एल को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एन सी डी) चैनल के माध्यम से कुल ₹21,985 करोड़ का ऋण जुटाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, विवरण 27 / प्रकटीकरण में केवल ₹7,000 करोड़ (सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित) दिखाया गया था, जबकि विवरण 27 में शेष ₹14,985 करोड़ (सरकारी गारंटी पर व्यवस्थित) का विवरण प्रकट नहीं किया गया था। भारत सरकार की गारंटीकृत राशि ₹14,985 करोड़ थी, जिसे विवरण 4 - गारंटी, यूजीएफए 2019-20 में नहीं दिखाया गया है।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि एयर इंडिया के विनिवेश के बारे में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, सरकार ने एयर इंडिया के पिछले बकाया (सरकारी गारंटीकृत ऋणों सहित) को पहले ही ले लिया है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एम ओ सी ए) के बजट के माध्यम से भुगतान पारदर्शी रूप से किया गया है। उत्तर पुष्टि करता है कि यह ऋण सरकारी ऋण होने के कारण विवरण 27 में उचित रूप से प्रकट किया जाना चाहिए था।

5.2.3 ईबीआर जिनकी पूर्ति सीएफआई से होगी लेकिन विवरण 27 में दर्शाये नहीं गये।

क. भविष्य के बजट के माध्यम से वित्तपोषित उर्वरक सब्सिडी की बकाया राशि

2021 की प्रतिवेदन संख्या 6 में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 की अवधि के दौरान उर्वरक सब्सिडी की बकाया राशि को आगे बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि रसायनिक और उर्वरक मंत्रालय को किया गया बजट आवंटन उर्वरक कंपनियों द्वारा सब्सिडी के दावों का

निपटान करने के लिए अपर्याप्त था। यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में भुगतान न होने के कारण संचित सब्सिडी ₹32,488.54 करोड़ थी और कुछ उर्वरक कंपनियों के लिए सब्सिडी के बकाया और इन ऋणों पर ब्याज के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से विशेष बैंकिंग व्यवस्था (एस बी ए) की गई थी/ऋण की व्यवस्था की गई थी, जिसे आंशिक रूप से सरकार द्वारा वहन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उर्वरक सब्सिडी के कारण आगे की देयता वर्ष के अंत तक लगभग ₹43,483 करोड़ तक पहुंच गई थी।

इस संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए उर्वरक दावों को पूरा करने के लिए स्वीकृत एस बी ए, यदि कोई हो, से संबंधित जानकारी, और राशि, ऋण की अवधि, ब्याज दर, चुकोती अवधि, और बाद में की गई अन्य/वैकल्पिक व्यवस्था, यदि कोई हो, के बारे में विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में सब्सिडी दावों की सीमा तक वर्तमान व्यय का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ई बी आर) पर विवरण 27 की उपरोक्त जानकारी के संदर्भ में पर्याप्त प्रकटीकरण की आवश्यकता थी।

हालांकि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक बकाया राशि (फरवरी 2022) पर चर्चा नहीं की, लेकिन यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी की देयताओं को आगे बढ़ाने के लिए लगभग ₹ 1.35 लाख करोड़ के आरई 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी।

ख. सड़क परिवहन क्षेत्र में अतिरिक्त बजटीय वित्तपोषण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) की स्थापना एन एच डी पी और अन्य योजनाओं के तहत सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए की गई थी।

एन एच ए आई की सभी टोल प्राप्तियां और पी पी पी मोड में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में सरकार के हिस्से के राजस्व को गैर- कर राजस्व²⁴ के रूप में भारत की समेकित निधि (सी एफ आई) में जमा किया जाता है। इन प्राप्तियों को फिर से एन एच ए आई में निवेशित कर दिया जाता है।

²⁴ सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में, टोल ठेकेदार से प्राप्त प्रेषण सी एफ आई में जमा किया जाता है जबकि ओ एम टी (संचालित, रखरखाव और हस्तांतरण) परियोजना और बी ओ टी (निर्मित, संचालन और हस्तांतरण) राजस्व हिस्सेदारी परियोजना के मामले में, संबंधित परियोजना के रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार, निधि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) और रियायतग्राही के बीच वितरित किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं से सरकारी हिस्सा भी सी एफ आई में जमा किया जाता है।

एन एच ए आई अधिनियम की धारा 21 के अनुसार - जो एन एच ए आई की उधार लेने की शक्तियों को निर्धारित करता है, इस तरह के उधार या तो केंद्र सरकार की सहमति से लिए गए थे या केन्द्र सरकार द्वारा इसे दिए गए किसी सामान्य या विशेष प्राधिकार की शर्तों के अनुसार थे। इसके अलावा, अधिनियम सरकार को एन एच ए आई द्वारा लिए गए ऋण हेतु गारंटी प्रदान करने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम के अनुपालन पर 2021 की पिछली सी ए जी प्रतिवेदन संख्या 6 में, यह देखा गया था कि एन एच ए आई द्वारा किए गए उधार सार्वजनिक परिसंपत्ति बनाने के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए ई बी आर की प्रकृति के थे। बजट के बाहर इस तरह के उधार के उपयोग ने सर्विसिंग जिम्मेदारी को भविष्य के वर्षों में स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा, यह स्थापित किया गया था कि एन एच ए आई द्वारा उधार को भारत सरकार के साथ अपने वित्तीय और प्रचालन संबंधों और कर राहत के रूप में प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के आधार पर उच्च रेटिंग द्वारा सुगम बनाया जा रहा था, जो कि एन एच ए आई को अर्जित, पूर्व निर्धारित राजस्व के संदर्भ में एक लागत है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा स्थायी पुल शुल्क कोष (₹10,600 करोड़) और राष्ट्रीय राजमार्ग कोष (₹5,000 करोड़) के मुद्रीकरण से प्राप्तियों के माध्यम से धन एन एच ए आई में निवेश किया गया था। इसके अलावा, एन एच ए आई को सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ) से ₹15,732.84 करोड़ का पूंजीगत अनुदान/निवेश प्राप्त हुआ।

इस प्रकार, एन एच ए आई परियोजनाओं को सरकारी और निजी रियायतग्राहियों द्वारा किए गए निवेश और एन एच ए आई द्वारा लिए गए उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एन एच ए आई द्वारा आई ई बी आर मोड के माध्यम से ₹ 74,988 करोड़ की निधि की व्यवस्था की गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2022) में कहा कि एन एच ए आई की उधारी उसकी अपनी बैलेंस शीट के आधार पर है, जो भारत सरकार के बैलेंस शीट से अलग है। दूसरे, एन एच ए आई के पास देयताओं के प्रति अर्जित परिसंपत्तियां हैं। भारत सरकार ने एन एच ए आई को गारंटी नहीं दी है और इसलिए, एन एच ए आई की देयताओं को भारत सरकार के दायित्व के हिस्से के रूप में मानने का विचार सही नहीं है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एन एच ए आई द्वारा लिए गए ऋण को भारत सरकार के साथ लिंक करके सुगम बनाया गया है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा, निर्मित सड़कों पर टोल से या सड़कों के मुद्रीकरण से उत्पन्न प्राप्तियों को सी एफ आई में जमा किया जाता है। इन प्राप्तियों को फिर अन्य बजटीय सहायता के साथ भारत सरकार द्वारा एन एच ए आई में निवेश किया जाता है, जो अंततः एन एच ए

आई के ऋण की भरपाई की ओर संकेत करता है। इसलिए, एन एच ए आई के उधार को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में विवरण 27 में शामिल किया जाना चाहिए।

5.3 सुझाव

सिफारिश 5ए: सरकार अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के लिए एक स्पष्ट अवधारणात्मक और नीतिगत रूपरेखा तैयार कर सकती है, जिसे संसद में पर्याप्त रूप से प्रकट किया जा सकता है। निम्नलिखित को इस रूपरेखा के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए:

- 5ए.I ई बी आर की परिभाषा जिसमें ऐसे सभी मामले शामिल हो जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या एक स्वायत्त निकाय द्वारा बाजार से जुटाए गए वित्तीय संसाधनों की देयता अंततः केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहन किया जाता है।
- 5ए.II अतिरिक्त बजटीय संसाधन वित्तपोषण का औचित्य और उद्देश्य; प्रत्येक परियोजना/योजना/कार्यक्रम के लिए बजटीय सहायता के साथ इस तरह के वित्तपोषण की मात्रा; अतिरिक्त बजटीय संसाधन निधि के स्रोत और शर्तें, और ऋण की चुकोती के लिए ऋण की चुकोती के लिए तंत्र।
- 5ए.III स्पष्ट मानदंड/सिद्धांतों के आधार पर बजट और सरकारी खातों में इस तरह के वित्त पोषण और उधार का खुलासा और समावेश, यूजीएफए की विवरण 14 (ऋण का विवरण और सरकार के अन्य ब्याज वहन करने वाले दायित्वों) के समान प्रकटीकरण के प्रारूप के साथ किया जाना।
- 5ए.IV सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से लिए गए उधार को व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 में दर्शा सकती है।

अध्याय

6

गारंटियाँ

केंद्र सरकार मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक लाभ वाली सरकारी संस्थाओं द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं या गतिविधियों की व्यवहार्यता में सुधार के लिए, उधार की लागत को कम करने के साथ-साथ उन प्रकरणों में आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु गारंटी देती है जहाँ सार्वभौम गारंटी द्विपक्षीय/ बहुपक्षी सहायता के लिए पूर्व शर्त निर्धारित है। जबकि गारंटियाँ आकस्मिक देयतायें होने के कारण ऋण का भाग नहीं होती हैं लेकिन चूक की स्थिति में वे सरकार की देयता स्थिति को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। सरकार की गारंटी को केन्द्र सरकार के वित्त लेखों के विवरण 4 (संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटी) में शामिल किया गया है। संघ सरकार के वित्त लेखों के विवरण 4 (संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ) में सरकार की गारंटी शामिल है।

6.1 गारंटी लक्ष्य


एफ आर बी एम अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम यह निर्धारित करते हैं कि केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी ऋण के संबंध में सी एफ आई की गारंटियों पर सकल घरेलू उत्पाद के डेढ़ प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त गारंटियाँ नहीं देगी।

6.2 गारंटी संवर्धन की प्रवृत्ति

आकृति 6.1 वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष में, सरकार द्वारा दी गई गारंटियों में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया गारंटी की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संघ सरकार के वित्त खातों के विवरण 4 (संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटी) के अनुसार ₹4,66,881 करोड़ थी, जो कि जी डी पी का 2.32% थी।

आकृति 6.1: गारंटियों में संवर्धन

(विवरण हेतु अनुलग्नक 6.1 का संदर्भ लें)



स्रोत: यू जी एफ ए से प्रत्याभूति के आंकड़े, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जीडीपी के आंकड़े अद्यतन किए गए हैं।

आकृति 6.1 दर्शाता है कि पिछले तीन वर्षों में वित्तीय वर्ष में गारंटियों में संवर्धन सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा है।

6.3 दर्शाई गई गारंटियों में असंगति

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आर बी आई और अन्य वित्तीय संस्थानों को दी गई अतिरिक्त गारंटियां शामिल नहीं थी।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में, अतिरिक्त गारंटी बढ़कर ₹60,907 करोड़ अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 0.30 प्रतिशत हो गयीं। यद्यपि, इस आंकड़े ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (ए आई ए एच एल) द्वारा एकत्र की गई भारत सरकार की ₹14,985 करोड़ की गारंटी राशि एवं भारत सरकार की गारंटी पर एफ सी आई द्वारा एकत्र ₹5,262.3 करोड़ सम्मिलित नहीं है, जो यू जी एफ ए में नहीं दर्शाये गये थे। यदि इन्हें सम्मिलित किया जाता है तो अतिरिक्त गारंटियां वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.40 प्रतिशत होगी।

मंत्रालय ने इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (फरवरी 2022)

6.4 सुझाव

सिफारिश 6क - वित्त मंत्रालय दी गई गारंटियां और वित्तीय संकेतकों पर उनके प्रभाव के लिए एक पारदर्शी प्रकटीकरण प्रणाली विकसित कर सकता है।

अध्याय

7

प्रकटीकरण और पारदर्शिता

7.1 प्रकटीकरण विवरण

एफ आर बी एम अधिनियम केंद्र सरकार को अपने वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित प्रारूपों में कर एवं गैर-कर राजस्व के बकाया, गारंटी, परिसंपत्तियों एवं वार्षिकी पर देयता से संबंधित अनिवार्य प्रकटीकरण करने हेतु उचित कदम उठाने की अपेक्षा करते हैं। यह अध्याय सरकारी लेखों में पारदर्शिता एवं अनिवार्य प्रकटीकरण विवरण के भाग के रूप में प्रदान की गई सूचनाओं का परीक्षण करता है।

- डी 1 कर राजस्व की मांग जो वसूल नहीं हुई
- डी 2 गैर-कर राजस्व का बकाया
- डी 3 सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
- डी 4 परिसंपत्ति पंजिका
- डी 5 वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता

7.2 प्रकटीकरण प्रपत्रों में पारदर्शिता

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन में, पांच प्रकटीकरण प्रपत्र²⁵ अन्य बजट दस्तावेजों के साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इन प्रपत्रों की जांच से प्रकटीकरणों में अपर्याप्तता का पता चला, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.2.1 गैर-कर राजस्व की बकाया राशि के प्रकटीकरण में असंगति

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार को देय गैरकर राजस्व की बकाया राशि-, जैसा कि एफ आर बी एम अनिवार्य प्रकटीकरण विवरण डी-2 में दर्शाया गया था, यू जी एफ ए के साथ अनुरूपता में नहीं थी।

एफ आर बी एम नियमों के नियम 6 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण के अनुसार, गैर-कर राजस्व (एन टी आर) के बकाया का विवरण प्राप्त बजट में दिया गया है।

सी ए जी के प्रतिवेदनों में बार-बार उस वर्ष के प्राप्त बजट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, वाणिज्यिक विभाग उपक्रमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त ब्याज प्राप्तियों के रूप में प्रकट की गई राशियों की तुलना में यू जी एफ ए के माध्यम से प्रकट किए गए आंकड़ों के

²⁵ 2018 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन से पहले, कुल छह प्रकटीकरण प्रपत्र निर्धारित किए गए थे। तदनुसार, फॉर्म डी-6 'पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' तब से वित्त वर्ष 2018-19 से बंद कर दिया गया है।

मध्य अंतर इंगित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित असंगतियां एवं भिन्नताएं आकृति 7.1 में दर्शायी गयीं हैं।

आकृति 7.1: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बकाया ब्याज के प्रकटीकरण में असंगति

(₹ करोड़ में)

| ऋणी संस्था | ब्याज बकाया | | अंतर |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| | प्राप्ति बजट -2021 22 | यू जी एफ ए -201920 | |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार | 1,656 | 3,582 | 1,926 |
| सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम | 16,956 | 35,073 | 18,117 |

स्रोत: प्राप्ति बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं संघ सरकार वित्त लेखा वित्तीय वर्ष 2019-20

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि प्राप्ति बजट में प्रकटीकरण विवरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार किया जाता है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 से, बजट प्रभाग, डी ई ए ने विवरण भरने के लिए सभी मंत्रालयों को ऑनलाइन उपयोगिता-केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली प्रदान की है ताकि प्रकटीकरण विवरण में अधिक स्पष्टता एवं सुदृढ़ता प्राप्त हो सके।

तथ्य यह है कि मंत्रालय ने इस संबंध में सही प्रकटीकरण सुनिश्चित नहीं किया है।

7.2.2 विदेशी सरकारों को दिए गए ऋण के आंकड़ों में असंगति

प्राप्ति बजट में एफ आर बी एम अनिवार्य प्रकटीकरण विवरण में दर्शाये गए विदेशी सरकारों को दिए गए ऋण के आँकड़े प्राप्ति बजट के परिसंपत्ति एवं देयता विवरण से भिन्न थे ।

सरकार की भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित एफ आर बी एम नियमावली 2004 के नियम 6 के अनुसार प्रकटीकरण के परीक्षण में, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में ₹14,751.13 करोड़ की राशि को विदेशी सरकारों से बकाया ऋण के रूप में दर्शाया गया था। दूसरी ओर, प्राप्ति बजट वित्तीय वर्ष -202122 की परिसंपत्तियों एवं देयता विवरण तथा यू जी एफ ए वित्तीय वर्ष 2020-19 में निहित समान सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-19 के अंत में विदेशी सरकारों से ऋण के रूप में ₹14,227.77 करोड़ की राशि बकाया थी।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा (सितम्बर 2021) कि समस्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त इनपुट को एफ आर बी एम अनुभाग में संकलित मात्र किया जाता है तथा नियम 6 के अंतर्गत समेकित परिसंपत्ति पंजिका तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त, यू जी एफ ए वित्तीय वर्ष

2019-20 में यू जी एफ ए सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में नहीं था, जबकि बजट प्रपत्रों को अंतिम रूप दिया गया था एवं 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिसंपत्ति एवं देयता के विवरण तथा एफ आर बी एम के अंतर्गत प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित आंकड़े, दोनों एक ही प्राप्त बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 में निहित थे। अतः समाधान किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने टिप्पणी को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2022) और अंतर को कम करने के लिए हितधारकों के साथ काम करने का आश्वासन दिया।

7.2.3 परिसंपत्ति पंजिका के विवरणों के प्रकटीकरण में भिन्नता

परिसंपत्ति पंजिका पर एफ आर बी एम अनिवार्य विवरण में, यह पाया गया कि प्रारंभिक शेष राशि पिछले वर्ष के समापन शेष से भिन्न थी, और इसका खुलासा विवरण में नहीं किया गया था।

एफ आर बी एम नियमावली 2004 के नियम 6(1)(सी) के अनुसार, सार्वजनिक हित में अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार, वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुदान मांगों को प्रस्तुत करते समय, व्याख्यात्मक टिप्पणियां, यदि कोई हो, के साथ एक परिसंपत्तियों के विवरण का प्रकटीकरण करेगी। यह प्रकटीकरण सरकार की भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित है।

प्राप्त बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 ने संघ सरकार की परिसंपत्तियों का विवरण जैसा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में था, प्रदान किया। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के प्राप्त बजटों की लेखापरीक्षा परीक्षण से परिसंपत्तियों के अंतिम एवं प्रारंभिक शेषों में भिन्नता पायी गयी, जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। इस भिन्नता को विवरण में भी दर्शाया नहीं गया था।

आकृति 7.2 : परिसंपत्तियों के मूल्य में अंतर

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में कुल परिसंपत्ति का कुल योग | वित्तीय वर्ष 2019-20 की शुरुआत में परिसंपत्ति | अंतर |
|---|---|----------|
| 16,99,853.14 | 16,90,945.08 | 8,908.06 |

जवाब में, मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2021) कि वित्त वर्ष 2018-19 के अंतिम शेष एवं वित्त वर्ष 2019-20 के प्रारंभिक शेष के मध्य का अंतर कुछ विशिष्ट मांगों (अर्थात् रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग, उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग तथा युवा कार्यक्रम मंत्रालय आदि) के कारण था। आगे यह कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से, बजट प्रभाग, डीईए ने समस्त मंत्रालयों को स्वतः विवरण भरने हेतु यू बी आई एस पर एक

उपयोगी सेवा प्रदान की है तथा अंतिम शेष एवं प्रारंभिक शेष में अंतर के प्रकरणों में टिप्पणियों का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है।

मंत्रालय ने आगे तर्क दिया (फरवरी 2022) कि सभी भिन्नताओं का उल्लेख करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था क्योंकि यह विवरण को बहुत बड़ा बना देगा। हालांकि यह देखा गया कि न तो पिछले वर्ष के अंतिम आंकड़े, और न ही चालू वर्ष के शुरुआती शेष से अंतर का प्रकटीकरण विवरण में किया गया था। इस प्रकार, प्रकटीकरण काफी हद तक अपूर्ण है।


7.3 देयताओं के आंकड़ों में अंतर

यू जी एफ ए में निहित वित्त वर्ष -201920 के लिए केंद्र सरकार की देयतायें प्राप्त बजट में वर्णित देयताओं से भिन्न हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्राप्त बजट में, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार की देयताओं को दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया था। देयताओं का समान विवरण संघ सरकार के वित्त लेखा (यू जी एफ ए) में भी दिया गया था। आकृति 7.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में सरकार की देयताओं की स्थिति में प्राप्त बजट एवं यू जी एफ ए के बीच अंतर को दर्शाता है।

आकृति 7.3: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए देयताओं की राशि में अंतर

(₹ करोड़ में)



स्रोत: प्राप्त बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं यू जी एफ ए वित्तीय वर्ष 2019-20

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि प्राप्त बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के पृष्ठ (iii) पर परिचयात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक अनंतिय थे। 1 फरवरी 2021 को संसद में बजट प्रस्तुत किया गया था तथा उस समय यू जी एफ ए वित्तीय वर्ष

2019-20 के लिए उपलब्ध नहीं था। मंत्रालय ने आगे तर्क दिया (फरवरी 2022) कि प्राप्ति बजट में देयता विवरण संघ सरकार के वित्त खातों में अंकित की गई संख्या के मिलान के बाद सरकार की शुद्ध देयता को दर्शाता है।

हालांकि कि, तथ्य यह है कि प्राप्ति बजट में उल्लिखित देयता आकड़ों और यू जी एफ ए में उल्लिखित आकड़ों में अंतर था और ऋण के घटक जो बजट दस्तावेजों की तैयारी/अंतिम रूप से अनंतिम थे, का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए था।

7.4 सुझाव

सिफारिश 7ए: वित्त मंत्रालय बजट दस्तावेजों, एफ आर बी एम अधिनियम अनिवार्य प्रकटीकरण और संघ खातों में दी गई जानकारी की समानता सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर समन्वय तंत्र स्थापित कर सकता है।

नई दिल्ली

दिनांक: 27 जुलाई 2022



(अमनदीप चड्ढा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 28 जुलाई 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1 (पैरा 1.2 देखें)

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के प्रासंगिक अंश

वित्तीय वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट

2018-19 और 2019-20 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

21. सरकार के मध्यम अवधि के राजकोषीय अनुमान एफ आर बी एम सीमाओं और बजट अनुमानों को आधार के रूप में उपयोग करते हैं और उन जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन होते हैं जो राजकोषीय समुच्चय को प्रभावित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार 2017-18 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत हासिल करना अनिवार्य था। अब इसे 2018-19 में हासिल करने की उम्मीद है। मौजूदा एफ आर बी एम प्रावधानों के तहत 2018-19 के बाद जी डी पी के प्रतिशत के रूप में एफ डी में और कमी करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए 2018-19 और 2019-20 के लिए एफ डी को जी डी पी का तीन प्रतिशत माना गया है। इसके परिणामस्वरूप उन वर्षों में नाममात्र जी डी पी वृद्धि के आधार पर सरकार के लिए अतिरिक्त राजकोषीय संभावना बनी रहेगी।

22. सामान्य परिस्थितियों में राजकोषीय विवेक का आकलन करने के लिए राजस्व घाटे को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। हालांकि, भारतीय संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में, केंद्र राज्यों को

स्थानांतरित करता है, यहां तक कि पूंजीगत व्यय के लिए, राजस्व अनुदान के रूप में प्रवाह, और व्यय के महत्वपूर्ण राजस्व घटक पर आवंटन बढ़ाने की विशिष्ट आवश्यकता, विशेष रूप से रखरखाव कार्यों पर, राजस्व घाटे को कम करने पर अत्यधिक ध्यान देना प्रतिकूल होगा और यहां तक कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत संपत्ति पर रिटर्न को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि, गैर-उत्पादक राजस्व व्यय को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में केंद्रित रहेंगे। इन्हें ध्यान में रखते हुए, और एफ आर बी एम अधिनियम के तहत आवश्यकताएं, जो राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत पर समाहित करने के लिए अनिवार्य हैं, राजस्व घाटा 2018-19 और 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.6 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

23. चौदहवें वित्त आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को दूर करने की सिफारिश की है, इसे राजकोषीय बेंचमार्किंग की मानक प्रणालियों को कमजोर करने के रूप में माना जाता है। हालांकि, इस अतिरिक्त राजकोषीय बेंचमार्क को जारी रखने के कुछ ठोस गुण हैं। एक ओर यह राजस्व व्यय के पूंजीगत घटक को स्पष्ट

रूप से सामने लाता है जिससे अर्थव्यवस्था में वास्तविक पूंजी निवेश व्यय को केंद्रीय निधि से बाहर किया जाता है, जबकि साथ ही यह मूर्त भौतिक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए, राजस्व व्यय के इस घटक को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाए रखता है।

24. जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है, एक उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी ताकि पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान पर अत्यधिक ध्यान देने से विकास संबंधी जरूरतों पर खर्च के अन्य आवश्यक राजस्व घटकों जैसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर या अस्पतालों में रखरखाव और आपूर्ति या सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे की परिसंपत्ति के रखरखाव में समझौता न हो। विशेष रूप से सेवाओं के सार्वजनिक वितरण के प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक रखरखाव और आपूर्ति संबंधी व्यय के लिए पर्याप्त आवंटन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए इन संदर्भों में प्रभावी राजस्व घाटा 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह प्रक्षेपण एफ आर बी एम अधिनियम के तहत ई आर डी के लक्षित उन्मूलन से एक विचलन है और एफ आर बी एम (समीक्षा) समिति की सिफारिशों के आधार पर, इस पहलू पर बाद में वर्ष में निर्णय लेते समय एक कठोर नज़र डालने की आवश्यकता होगी।

25. भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्यम अवधि में अधिक स्थिर उच्च विकास पथ पर लौटने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से जी एस टी से संबंधित प्रमुख

कर सुधार नीति उपायों और प्रत्यक्ष करों में आधार का विस्तार, जो कि प्रक्रियाधीन है, हाल ही में विमुद्रीकरण उपायों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के प्रत्याशित अधिक औपचारिकता के लाभकारी प्रभाव के साथ, कर संग्रह में वृद्धि में सुधार की संभावना है। इसलिए कर से जी डी पी अनुपात में मध्यम अवधि में सुधार दिखाने का अनुमान है और 2018-19 और 2019-20 में जी डी पी का क्रमशः 11.6 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

26. कर राजस्व के अलावा गैर-कर राजस्व सरकार के लिए राजस्व का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। विशेष रूप से स्पेक्ट्रम नीलामियों के कारण गैर-कर राजस्व में सामयिक स्पाइक्स के अलावा, गैर-कर राजस्व के अधिकांश अन्य स्रोत काफी हद तक स्थिर हैं। मध्यम अवधि में गैर-कर राजस्व का अनुमान क्रमशः 2018-19 और 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत है। सरकार ने राजस्व के गैर-कर स्रोतों की समीक्षा और वृद्धि के लिए सुझाए गए कदमों के संबंध में व्यय प्रबंधन आयोग (ई एम सी) की कई सिफारिशों को भी लागू किया है। इसमें लाभांश भुगतान पर संशोधित दिशानिर्देश, उपयोगकर्ता शुल्क/शुल्क आदि की अनिवार्य समीक्षा शामिल है, जो मध्यम अवधि में उच्च रिटर्न दे सकता है।

27. 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल सरकारी व्यय 12.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह 2018-19 और 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 12.2

प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन के 2019-20 तक 85:15 तक सुधरने की उम्मीद है। हालांकि, मध्यम अवधि में भुगतान या व्यय के परिणाम कई कारणों से अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं, जिनमें वित्तीय विकास और समग्र मैक्रो-आर्थिक स्थितियां शामिल हैं।

28. मध्य अवधि में व्यापक राजकोषीय अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र की

कुल अनुमानित देयता 2017-18 में 44.7 प्रतिशत से घटकर 2018-19 और 2019 में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 42.8 प्रतिशत और 40.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अभी भी वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत पर केंद्र की लक्षित कुल देयता से ऊपर होगा; समेकन की गति पटरी पर है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का केंद्रीय बजट

2019-20 और 2020-21 के लिए राजकोषीय आउटलुक

29. वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में धारणाओं को उपरोक्त अनुभागों में स्पष्ट रूप से रखा गया है। इसलिए, 2019-20 और 2020-21 में राजकोषीय लक्ष्यों की उपलब्धि, इन परस्पर जुड़े लक्ष्यों, विशेष रूप से देश में नाममात्र जी डी पी से संबंधित लक्ष्यों की उपलब्धि पर निर्भर है।

30. नए प्रस्तावित ढांचे में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राजस्व घाटे के लक्ष्य पहले की तरह प्रमुखता का आनंद नहीं लेंगे। यह पूंजीगत व्यय के लिए वरीयता द्वारा बनाई गई विसंगति को दूर करने के लिए है जो उस ढांचे में निहित था जहां आर डी गिरावट की प्रवृत्ति का पालन कर रहा था। हालांकि, संपत्ति के निर्माण के अलावा, स्थापित की गई संपत्तियों के सही रखरखाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत जैसे संघीय देश में, सभी पूंजी-संबंधित हस्तांतरण जो सरकार राज्य सरकार की एजेंसियों को देती है जो कुछ योजनाओं को लागू करते हैं, उन्हें राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, मानव पूंजी के हिस्से के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मदों पर व्यय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक पूंजी पर। उदाहरण के लिए, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पर्याप्त वेतन पाने वाले शिक्षकों और डॉक्टरों की उपस्थिति उतनी

ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मजबूत अस्पताल और स्कूल की इमारतें

31. जैसा कि उपरोक्त पैराआकृति में विश्लेषण किया गया है, यह अनुमान है कि सरकार हाल के कराधान सुधार प्रस्ताव के लाभांश को प्राप्त करने के लिए निश्चित है। जबकि प्रत्यक्ष कर उछाल दर यह दर्शाती है कि विमुद्रीकरण के संबंध में लाभांश शायद पहले से ही शुरू हो रहे हैं, सरकार को विश्वास है कि जी एस टी के कार्यान्वयन के लिए कर आधार के विस्तार से केंद्र सरकार की वित्तीय संभावनाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

32. राज्य सरकारों के सामने एक बड़ी अनिश्चितता है। उदय बांडों का प्रतिदान अत्यधिक है और ये राज्य की वित्तीय गणनाओं पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकते हैं। संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम के अंतर्गत, जहां सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत पर सामान्य सरकारी ऋण की सीमा है, यह राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर इनके प्रभाव के बारे में किसी का भी अनुमान हो सकता है।

33. इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 2019-20 और 2020-21 में यह अनुमान है कि केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में 2018-19 और 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना में क्रमशः 14.3 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इन वर्षों के लिए जीटीआर संबंधित वर्षों में ₹ 25,95,775 करोड़ और ₹ 29,77,350 करोड़ के पूर्ण लक्ष्य तक पहुंच गया। इन आंकड़ों में जीएसटी मुआवजा उपकर के

कारण इन प्रत्येक वर्ष में ₹ 90,000 करोड़ की राशि भी शामिल है। इस वृद्धि का मतलब है कि कर जी डी पी अनुपात 2019-20 में 12.4 फीसदी और 2020-21 में 12.7 फीसदी तक पहुंच जाएगा। इस वृद्धि को कर आधार को व्यापक करके काफी सहायता मिलेगी और इसलिए क्रमशः विमुद्रीकरण और जीएसटी से जुड़े कर में वृद्धि होगी।

34. कर राजस्व पर उपरोक्त आंकड़ों के अलावा, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का अन्य महत्वपूर्ण घटक सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियां हैं। इनमें क्रमशः 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन दरों पर बढ़ते हुए, एन टी आर दो प्रासंगिक वर्षों में क्रमशः ₹2,65,867 करोड़ और ₹2,95,000 करोड़

तक पहुंचने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इन्हें वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में प्रत्येक के 1.3 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है क्योंकि निजी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक साथ कदम उठाया जा रहा है।

35. व्यय के मामले में, कुल सरकारी व्यय, जिसे 2018-19 (बी ई) में सकल घरेलू उत्पाद के 13.0 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, 2019-20 और 2020-21 में 0.3 प्रतिशत अंक घटकर 12.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। व्यय प्रोफाइल में राजस्व-पूंजी को जोड़कर बी ई 2018-19 में 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में लगभग 13 प्रतिशत होने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट

बी ई 2019-20 के लिए वित्तीय दृष्टिकोण

9. 2019-20 के लिए एफडी का लक्ष्य जीडीपी का 3.3 प्रतिशत आंका गया है।

10. बजट अनुमान 2019-20 में सकल कर राजस्व ₹24,61,195 करोड़ है जो संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में ₹2,13,020 करोड़ (9.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। आर ई 2018-19 में ₹12,00,000 करोड़ की तुलना में बी ई 2019-20 में प्रत्यक्ष कर ₹13,35,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो आर ई 2018-19 की तुलना में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उम्मीद है कि 2019-20 के अंत में प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद

का 6.3 प्रतिशत होगा। बजट अनुमान 2019-20 में अप्रत्यक्ष करों का बजट ₹11,22,015 करोड़ रुपये है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत है। 2019-20 में गैर-कर राजस्व संग्रह आर ई 2018-19 में ₹2,45,276 करोड़ की तुलना में ₹3,13,179 करोड़ का बजट है।

11. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (एन डी सी आर) बजट अनुमान 2019-20 में ₹1,19,828 करोड़ होने की उम्मीद है, जो संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में ₹26,673 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। एन डी सी आर में वृद्धि ज्यादातर विनिवेश के कारण हुई है जिसका बजट ₹1,05,000 करोड़ (आर ई 2018-19 - ₹80,000 करोड़) है। 2018-19 के संशोधित अनुमान में

₹6,34,397 करोड़ की तुलना में 2019-20 में कुल सकल उधारी ₹7,03,760 करोड़ अनुमानित है। यह आर ई की तुलना में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

12. 2019-20 में कुल व्यय ₹27,86,349 करोड़ आंका गया है जो कि संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में ₹3,29,114 करोड़ (13.4 प्रतिशत) की वृद्धि है। राजस्व व्यय, आर ई 2018-19 में ₹21,40,612 करोड़ की तुलना में, बी ई 2019-20 में ₹24,47,780 करोड़ अनुमानित किया गया था, जो आर ई की तुलना में बी ई 2019-20 में ₹3,07,168 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को समर्थन के कारण है। पूंजीगत व्यय, बीई 2019-20 में बढ़कर ₹3,38,569 करोड़ होने की उम्मीद है, जो आर ई 2018-19 में ₹3,16,624 करोड़ था।

13. जी एस टी सुधारों और राजस्व के पूर्ण लाभ की प्राप्ति में कुछ और समय लगने की उम्मीद है और इसलिए स्थिरता 2019-20 में भी जारी रहने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट

आर ई 2019-20 के लिए राजकोषीय आउटलुक

6. राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.30 प्रतिशत के बजट स्तर की तुलना में आर ई 2019-20 में जी डी पी का 3.8 प्रतिशत है। मुख्य रूप से अनुमानित जी एस टी संग्रह से कम और निगम कर दरों में कमी के कारण सकल कर राजस्व अनुमानों में कमी आई है। अप्रत्यक्ष करों से प्रत्याशित प्राप्तियों को संशोधित कर 2018-19 अनंतिम वास्तविक की तुलना में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाने के लिए संशोधित किया गया है, जबकि प्रत्यक्ष कर के लिए संशोधित अनुमान 2019-20 पिछले वर्ष की तुलना में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कॉर्पोरेट टैक्स जहां बी ई स्तर से ₹1,55,500 करोड़ की कमी है। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में बीई स्तर से ₹32,334 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है।

7. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से कम विनिवेश प्राप्तियों के कारण, बजट अनुमान 2019-20 की तुलना में ₹38,224 करोड़ कम होने का अनुमान है। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान ₹81,604 करोड़ रखा गया है। राजकोषीय घाटे का निरपेक्ष मूल्य संशोधित अनुमान में ₹7,66,848 करोड़ कर दिया गया है जो कि 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना में ₹63,087 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

8. संशोधित अनुमान 2019-20 में, कुल व्यय ₹26,98,552 करोड़ अनुमानित किया गया है जो 2019-20 के बजट अनुमान से

₹87,797 करोड़ की कमी दर्शाता है। आर ई 2019-20 में राजस्व व्यय ₹23,49,645 करोड़ है, जबकि पूंजीगत व्यय, अनुमानित रूप से संशोधित अनुमान में ₹3,48,907 करोड़, बजट अनुमान 2019-20 की तुलना में ₹10,338 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

अनुलग्नक 1.2

(पैरा 1.2 देखें)

वित्तीय वर्ष के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (प्रकटीकरण फॉर्म एफ-2)

2020-21

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण

(आर्थिक निष्पादन का सार)

| क्र.सं. | मद | नित्य मूल्य | | प्रतिशत परिवर्तन | |
|--|--|-------------------------|---------|------------------|---------|
| | | अप्रैल-दिसंबर | | अप्रैल-दिसंबर | |
| | | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 |
| संपदा क्षेत्र | | | | | |
| 1 | बाजार मूल्यो पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़)Ⓐ | | | | |
| | (क) वर्तमान मूल्यो पर | 20340 | 19482 | 7.2 | -4.2 |
| | (ख) वर्ष 2011-2012 के मूल्यो पर | 14566 | 13440 | 4.2 | -7.7 |
| 2 | औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2011-12=100)ⒶⒶ | 128.1 | 108.3 | 0.3 | -15.5 |
| 3 | घोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)Ⓐ | 121.7 | 121.6 | 1.5 | -0.1 |
| 4 | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: संयुक्त (2012=100)Ⓐ | 145.3 | 154.9 | 4.1 | 6.6 |
| 5 | मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)Ⓐ | 16061.6 | 18059.1 | 10.4 | 12.4 |
| 6 | वर्तमान मूल्यो पर आयत* | | | | |
| | (क) ₹ करोड़ | 2562540 | 1922790 | -6.4 | -25.0 |
| | (ख) बिलियन अमरीकी डालर | 364184 | 258272 | -7.2 | -29.1 |
| 7 | वर्तमान मूल्यो पर निर्यात* | | | | |
| | (क) ₹ करोड़ | 1677371 | 1495706 | -1.5 | -10.8 |
| | (ख) बिलियन अमरीकी डालर | 238274 | 200802 | -2.4 | -15.7 |
| 8 | व्यापार घाटा (बिलियन अमरीकी डालर)* | -125910 | -57470 | -15.1 | -54.4 |
| 9 | विदेशी मुद्रा नंडार (माघे के अंत तक) | | | | |
| | (क) ₹ करोड़ | 3264729 | 4272332 | 18.62 | 30.86 |
| | (ख) बिलियन अमरीकी डालर | 457468 | 580841 | 16.28 | 26.97 |
| 10 | घालु खाता शेष (बिलियन अमरीकी डालर)Ⓐ | -22.5 | 34.8 | | |
| सरकार के वित्त साधन (₹ करोड़)## | | | | | |
| | | अप्रैल से नवम्बर | | | |
| 1. | राजस्व प्राप्तियां | 983214 | 812710 | 13.0 | -17.3 |
| | सकल कर राजस्व | 1174143 | 1026055 | 0.8 | -12.6 |
| | कर (केन्द्र को निवल) | 750614 | 688430 | 2.6 | -8.3 |
| | कर-मिन्न राजस्व | 232600 | 124280 | 67.8 | -46.6 |
| 2. | पूंजी प्राप्तियां, जिसमे | 836843 | 1093648 | 12.6 | 30.7 |
| | ऋणों की वसुली | 10910 | 11962 | 4.2 | 9.6 |
| | अन्य प्राप्तियां | 18099 | 6179 | 14.5 | -65.9 |
| | उधार और अन्य देनदारियां | 807834 | 1075507 | 12.7 | 33.1 |
| 3. | कुल प्राप्तियां (1+2) | 1820057 | 1906358 | 12.8 | 4.7 |
| 4. | कुल व्यय | 1820057 | 1906358 | 12.8 | 4.7 |
| | (क) राजस्व व्यय | 1606215 | 1665200 | 13.0 | 3.7 |
| | (ख) पूंजी व्यय | 213842 | 241158 | 11.7 | 12.8 |
| 5. | राजस्व घाटा | 623001 | 852490 | 13.0 | 36.8 |
| 7. | राजकोषीय घाटा | 807834 | 1075507 | 12.7 | 33.1 |
| 8. | प्राथमिक घाटा | 466022 | 692082 | 26.5 | 48.5 |
| <p>Ⓐ सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं और वर्ष 2019-20 के आंकड़े अन्तिम अनुमान हैं और वर्ष 2020-21 के आंकड़े प्रथम अग्रिम अनुमान हैं।</p> <p>ⒶⒶ अप्रैल से नवम्बर तक</p> <p>^ 2020-21 के लिए अन्तिम और अप्रैल-मई 2020 के महीनों के लिए सीपीआई-डी-डी आलेखित हैं जो कोविड-19 महामारी के कारण सीमित प्रेक्षणों पर आधारित हैं।</p> <p>* सीमाशुल्क आधार पर</p> <p>₹ 18 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार</p> <p>Ⓐ अप्रैल - सितंबर</p> <p>## महालेखा निबंधक और वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल से नवंबर, 2020 के लिए जारी किए गए मासिक लेखाओं के आंकड़ों पर आधारित।</p> | | | | | |

अनुलग्नक 3.1

(पैरा 3.4.4 देखें)

(यूजीएफए/एएफएस से गैर-ऋण प्राप्तियों की गणना)

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | गैर-ऋण प्राप्तियां (यू जी एफ ए/ए एफ एस-3 से) | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|
| | ऋण और अग्रिम की वसूली | विविध पूंजीगत प्राप्ति | राजस्व प्राप्ति | कुल |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) |
| 2014-15 | 26,547 | 37,740 | 13,28,909 | 13,93,196 |
| 2015-16 | 41,870 | 42,132 | 14,36,160 | 15,20,162 |
| 2016-17 | 40,971 | 47,743 | 16,15,988 | 17,04,702 |
| 2017-18 | 70,639 | 1,00,048 | 16,91,143 | 18,61,830 |
| 2018-19 | 30,257 | 94,979 | 18,06,463 | 19,31,699 |
| 2019-20 | 18,647 | 50,349 | 19,48,084 | 20,17,080 |

अनुलग्नक 3.2

(पैरा 3.4.4 देखें)

(यू जी एफ ए/ए एफ एस से कुल व्यय की गणना)

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | कुल व्यय (यू जी एफ ए/ए एफ एस-4 से) | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | राजस्व व्यय | पूंजीगत व्यय | ऋण और अग्रिम | कुल |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) +(2) +(3) |
| 2014-15 | 16,95,137 | 1,72,086 | 41,921 | 19,09,144 |
| 2015-16 | 17,79,529 | 2,78,866 | 47,272 | 21,05,667 |
| 2016-17 | 19,33,018 | 2,49,472 | 60,011 | 22,42,501 |
| 2017-18 | 21,40,085 | 3,25,116 | 82,136 | 25,47,337 |
| 2018-19 | 22,61,571 | 3,99,523 | 54,667 | 27,15,761 |
| 2019-20 | 26,15,320 | 3,87,744 | 45,142 | 30,48,206 |

अनुलग्नक 3.3
(आकृति 3.6 और पैरा 3.4.4 देखें)
(गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय)

(₹ करोड़ में)

| | कुल खर्च | गैर-ऋण प्राप्तियां | राजकोषीय घाटा (एफ डी) | प्राथमिक घाटा (पी डी) | सकल घरेलू उत्पाद | सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पी डी | सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में एफ डी | गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय |
|---------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|--|---|
| 2015-16 | 21,05,667 | 15,20,162 | 5,85,497 | 1,28,227 | 137,71,874 | 0.93% | 4.25% | 72.19% |
| 2016-17 | 22,42,501 | 17,04,702 | 5,37,799 | 33,287 | 153,91,669 | 0.22% | 3.50% | 76.02% |
| 2017-18 | 25,47,337 | 18,61,830 | 6,85,506 | 1,41,800 | 170,90,042 | 0.83% | 4.01% | 73.09% |
| 2018-19 | 27,15,761 | 19,31,699 | 7,84,062 | 1,88,510 | 188,99,668 | 1.00% | 4.15% | 71.13% |
| 2019-20 | 30,48,206 | 20,17,080 | 10,31,126 | 3,75,755 | 200,74,856 | 1.87% | 5.14% | 66.17% |

स्रोत: संबंधित वर्षों का यू जी एफ ए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जी डी पी के आंकड़े अपडेट किए गए हैं।

अनुलग्नक 3.4
(आकृति 3.8 और पैरा 3.5.1 देखें)
(वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर राजस्व अनुमान)

(₹ करोड़ में)

| घटक | एमटीएफपी 2017-18 | एमटीएफपी 2018-19 | बीई 2019-20 | आरई 2019- 20 | वास्तविक 2019-20 |
|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| कर राजस्व | 16,27,275 | 16,74,523 | 16,49,582 | 15,04,587 | 13,59,382 |
| सकल घरेलू उत्पाद | 2,11,33,448 | 2,09,31,533 | 2,10,07,439 | 2,04,42,233 | 2,00,74,856 |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व | 7.70% | 8.00% | 7.85% | 7.36% | 6.77% |
| एमटीएफपीएस 2017-18 में पहले अनुमानों में अंतर | लागू नहीं | 47,248 | 22,307 | -1,22,688 | -2,67,893 |

अनुलग्नक 3.5
(चित्र 3.9 और पैरा 3.5.1 देखें)
(वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गैर-कर राजस्व अनुमान)

(₹ करोड़ में)

| घटक | एमटीएफपी 2017-18 | एमटीएफपी 2018-19 | बीई 2019-20 | आरई 2019-20 | वास्तविक 2019-20 |
|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| गैर -कर राजस्व | 2,74,735 | 2,72,110 | 3,13,179 | 3,45,514 | 3,27,157 |
| सकल घरेलू उत्पाद | 2,11,33,448 | 2,09,31,533 | 2,10,07,439 | 2,04,42,233 | 2,00,74,856 |
| सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में गैर-कर राजस्व | 1.30% | 1.30% | 1.49% | 1.69% | 1.62% |
| एमटीएफपीएस 2017-18 में पहले अनुमानों में अंतर | लागू नहीं | -2,625 | 38,444 | 70,779 | 52,422 |

अनुलग्नक 3.6

(चित्र 3.10 और पैरा 3.5.2 देखें)

(वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति अनुमान)

(₹ करोड़ में)

| घटक | एमटीएफपी 2017-18 | एमटीएफपी 2018-19 | बीई 2019-20 | आरई 2019-20 | वास्तविक 2019-20 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| अन्य गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति | 40,000 | 60,000 | 1,05,000 | 65,000 | 50,349 |
| एमटीएफपीएस 2017-18 में पहले अनुमानों में अंतर | लागू नहीं | 20,000 | 65,000 | 25,000 | 10,349 |

अनुलग्नक 3.7

(चित्र 3.10 और पैरा 3.5.2 देखें)

(वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ऋण और अग्रिम अनुमानों की वसूली)

(₹ करोड़ में)

| घटक | एमटीएफपी 2017-18 | एमटीएफपी 2018-19 | बीई 2019-20 | आरई 2019-20 | वास्तविक 2019-20 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| ऋण और अग्रिम की वसूली | 10,000 | 10,000 | 14,828 | 16,605 | 18,647 |
| एम टी एफ पी एस 2017-18 में पहले अनुमानों में अंतर | लागू नहीं | 0 | 4,828 | 6,605 | 8,647 |

अनुलग्नक 5.1
(पैरा 5.3 देखें)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का प्रकटीकरण

2021-22 का व्यय प्रोफाइल

विवरण 27 अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (इबीआर) (सरकार द्वारा पूरी तरह सेवित बांड, एनएसएम ऋण और अन्य स्रोत) का विवरण

(₹ करोड़ में)

| भाग-क- सरकार द्वारा जुटाया गए पूरी तरह सेवित बांड द्वारा ईबीआर | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| मांग सं. | विभाग/मंत्रालय का नाम और योजना का नाम | 2016-17 वास्तविक आँकड़े | 2017-18 वास्तविक आँकड़े | 2018-19 वास्तविक आँकड़े | 2019-20 वास्तविक आँकड़े | 2020-21 बी ई | 2020-21 आर ई | 2020-21 बी ई |
| 24. | उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का नवीकरण (आरआईएमई) | - | - | - | - | 3000.00 | - | |
| 44. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना | - | - | - | - | 3000.00 | - | |
| 59. | आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी | - | - | 20000.00 | - | 10000.00 | - | |
| 61. | जल संसाधन, नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग क). पोलावरम सिंचाई परियोजना ख). प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य परियोजना) | - 2187.00 | - 3105.00 | 1400.00 5493.40 | 1850.00 1963.40 | - 5000.00 | 2234.29 4225.00 | शून्य |
| 62. | पेयजल और स्वच्छता विभाग क). स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) | - | - | 8698.20 | 3600.00 | - | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|--|
| | ख). जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | - | - | - | - | 120000.00 | - | |
| 70. | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय क). ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ-ग्रिड/वितरित और विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा ख). प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान (पी एम - कुसुम) | 1640.00 | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | 1000.00 | - | |
| 77. | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग (आई डब्ल्यू ए आई) परियोजना | 340.00 | 660.00 | - | - | - | - | |
| 78. | विद्युत मंत्रालय क. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य ख. विद्युत प्रणाली विकास निधि परियोजनाएं | 5000.00 | 4000.00 | 13827.00 | 3782.00 | 5500.00 | 5000.00 | |
| | | - | - | 5504.70 | - | - | - | |
| 86. | ग्रामीण विकास विभाग प्रधान मंत्री आवास योजना (पी एम ए वार्ड)- ग्रामीण | - | 7330.00 | 10678.80 | 10811.00 | 10000.00 | 20000.00 | |
| | कुल | 9167.00 | 15095.00 | 65602 | 22006.30 | 49500.00 | 31459.29 | |

व्यय प्रोफाइल 2021-22

विवरण 27

| भाग-ख- एनएसएसएफ से ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| क्र.सं | मंत्रालय/विभाग का नाम/इकाई का नाम | 2016-17 वास्तविक आँकड़े | 2017-18 वास्तविक आँकड़े | 2018-19 वास्तविक आँकड़े | 2019-20 वास्तविक आँकड़े | 2020-21 बी ई | 2020-21 आर ई | 2020-21 बी ई |
| 1. | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय खाद्य निगम | 70000.00 | 65000.00 | 97000.00 | 11000.00 | 136600.00 | 84636.00 | - |
| 2. | आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद | - | 8000.00 | - | 15000.00 | - | 10000.00 | - |
| 3. | उर्वरक विभाग घातु और खनिज व्यापार निगम | - | - | - | 1310.00 | - | - | - |
| 4. | अन्य सार्वजनिक एंजिसियों को सहायता (किसी विशिष्ट योजना परियोजना के तहत अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यदि कोई हो) | | | | | | | 30000.00 |
| | कुल | 70000.00 | 73000.00 | 97000.00 | 126310.00 | 136600.00 | 94636.00 | 30000.00 |
| | कुल योग (क + ख) | 79167.00 | 88095.00 | 162602.10 | 148316.13 | 186100.00 | 126095.29 | 30000.00 |

एफ सी आई के पास एन एस एस एफ के ऋण की बकाया राशि 31.03.2020 तक ₹ 2,54,600 करोड़ थी।

टिप्पणियाँ:-

- i. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को हस्तांतरित एआई के ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 7000/- करोड़ का पूरी तरह सेवित बांड सरकार द्वारा जारी करके ईबीआर बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।
- ii. रेल मंत्रालय को अपने राष्ट्रीय परियोजनाओं की वित्तपोषित करने के लिए उधार द्वारा ₹ 10,200 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 5,200 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 5,000/- करोड़) तक की निधि की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। पुनर्भुगतान, सरकार के सामान्य राजस्व से किया जाएगा।
- iii. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में पूंजी प्रवाह:** 2017-18 में ₹ 80,000 करोड़, 2018-19 में ₹ 1,06,000 करोड़ और 2019-20 में ₹ 65,443 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको (पी एस बी) के पुनः पूंजीकरण के लिए निवेश गए थे। इस उद्देश्य के लिए, 2020-21 में ₹ 20,000 करोड़ का प्रावधान बनाया गया था। अब तक, वित्तीय वर्ष 2020-21 में, सरकार द्वारा गैर-ब्याज वाली विशेष प्रतिभूतियों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई पूंजी के रूप में ₹ 5,500 करोड़ का निवेश किया गया है। भारत सरकार ने 3 अन्य बैंको जैसे आईडीबीआई (₹ 4,557 करोड़), एक्विजि बैंक (₹ 5,050 करोड़) और आईआईएफसीएल (₹ 5,297.60 करोड़) में बॉन्ड जारी करके भी निवेश किया है।
- iv. वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता का विवरण प्राप्ती बजट 2021-22 के भाग-ख में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया वार्षिक देनदारी की राशि ₹ 41,822.04 करोड़ थी।

अनुलग्नक 6.1
(चित्र 6.1 और पैरा 6.2 देखें)
(गारंटियों में अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | घटक | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| (1) | वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि | 3,05,519.10 | 3,52,519.19 | 3,78,704.16 | 4,31,931.53 | 4,58,542.92 | 5,10,479.36 |
| (2) | साल की शुरुआत में बकाया | 2,53,244.20 | 3,00,577.06 | 3,43,758.86 | 3,66,188.70 | 3,80,815.09 | 4,49,573.73 |
| (3) | वर्ष के दौरान वृद्धि | 52,274.90 | 51,942.13 | 34,945.30 | 65,742.83 | 77,727.83 | 60,905.63 |
| (4) | हटाना (उपयोग)के अलावा) | 10,818.77 | 8,757.03 | 12,403.46 | 51,758.73 | 10,916.56 | 43,597.96 |
| (5) | वर्ष के दौरान उपयोग किया गया | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| (6) (3 - 4 - 5) | कुल गारंटी | 41,456.13 | 43,185.10 | 22,429.84 | 13,984.10 | 66,811.27 | 17,307.67 |
| (7) | साल के अंत में बकाया | 2,94,700.33 | 3,43,762.16 | 3,66,188.70 | 3,80,172.80 | 4,47,626.36 | 4,66,881.40 |
| (8) | सकल घरेलू उत्पाद | 1,24,45,128 | 1,37,71,874 | 1,53,91,669 | 1,70,90,042 | 18,88,99,668 | 2,00,74,856 |
| (9) | सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि | 2.45% | 2.56% | 2.46% | 2.53% | 2.43% | 2.54% |
| (10) | जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त गारंटियां | 0.42% | 0.38% | 0.23% | 0.38% | 0.41% | 0.30% |
| (11) | सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष के अंत में बकाया | 2.37% | 2.50% | 2.38% | 2.22% | 2.37% | 2.32% |

स्रोत: यू जी एफ ए से गारंटी के आंकड़े, जी डी पी के आंकड़े नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अपडेट किए गए हैं।

शब्दावली

| | |
|-----------------------------|---|
| वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) | संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा जाता है। प्राप्ति और संवितरण को तीन भागों के अंतर्गत दिखाया जाता है जिसमें सरकारी खाते रखे जाते हैं, अर्थात् (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि, और (iii) लोक लेखा। |
| बजट एक नजर में | यह दस्तावेज़ केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को हस्तांतरित कर राजस्व, अन्य प्राप्तियों और संसाधनों के विवरण के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरण में संक्षेप में दिखाता है। यह दस्तावेज़ सरकार के घाटे को भी दर्शाता है। |
| पूंजीगत व्यय | एक पूंजीगत प्रकृति के व्यय को व्यापक रूप से एक भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस संपत्ति बढ़ाने या आवर्ती देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। |
| पूंजीगत प्राप्ति | पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार और विदेशी सरकारों/संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल होते हैं। इसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली और सरकारी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय भी शामिल है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त राशि भी शामिल है। |
| भारत की संचित निधि | भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल, आंतरिक और बाहरी ऋणजारी करके, सभी संचित ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन, संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित "भारत की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे। |
| प्रभावी राजस्व घाटा | प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय (राजस्व खाते पर) और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर के रूप में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए कम अनुदान के रूप में समझा जा सकता है जिसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। |

| | |
|-------------------------|---|
| विदेशी कर्ज | सरकार द्वारा विदेशी सरकारों और विदेशों में वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण, ज्यादातर विदेशी मुद्रा में। |
| वित्त लेखा | वित्त लेखे राजस्व और पूंजी खातों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों के खातों को प्रस्तुत करते हैं, सार्वजनिक ऋण के खातों और देनदारियों और परिसंपत्तियों के रूप में खातों में दर्ज शेष राशि। |
| वित्त विधेयक | अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का विवरण देते हुए संविधान के अनुच्छेद 110(1)(ए) के तहत आवश्यकता की पूर्ति में प्रस्तुत किया गया धन विधेयक है। एक बार जब वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तो यह वित्त अधिनियम बन जाता है। |
| राजकोषीय घाटा | एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ऋण प्राप्तियों को छोड़कर, निधि में कुल प्राप्तियों पर ऋण की अदायगी को छोड़कर, भारत की संचित निधि से कुल अधिक संवितरण। |
| राजकोषीय नीति | सरकार की राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व में वृद्धि और सरकारी व्यय से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय और संसाधन प्रबंधन जिम्मेदारियों का कितनी अच्छी तरह निर्वहन किया गया है। |
| सकल घरेलू उत्पाद | सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) विशिष्ट अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसकी गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है। इसमें सभी निजी और सार्वजनिक उपभोग, सरकार के परिव्यय, निवेश और निर्यात कम आयात शामिल हैं जो एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर होते हैं। जी डी पी को निर्दिष्ट आधार वर्ष के संदर्भ में स्थिर कीमतों पर और वर्तमान कीमतों पर भी काम किया जाता है (जिसमें मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में बदलाव या समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि शामिल है)। |

| | |
|----------------------|---|
| गारंटियां | संविधान का अनुच्छेद 292 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, गारंटी देने के लिए करता है, जैसा कि संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। |
| आंतरिक ऋण | आंतरिक ऋण में भारत में उठाए गए ऋण शामिल हैं। यह भारत की संचित निधि में जुटाए गए और जमा किए गए ऋणों तक ही सीमित है। |
| ऋण और अग्रिम | इसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं। |
| सार्वजनिक खाता | भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त संचित निधि में जमा किए गए धन के अलावा अन्य सभी सार्वजनिक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है। ये वे धन हैं जिनके संबंध में सरकार बैंकर के रूप में अधिक कार्य करती है। |
| सार्वजनिक ऋण | भारत की संचित निधि में अनुबंधित आंतरिक और बाहरी स्रोतों से सरकारी ऋण को सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता। |
| राजस्व व्यय | रखरखाव, मरम्मत, रखरखाव और काम करने के खर्च पर शुल्क, जो एक चालू क्रम में संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन चलने के लिए किए गए अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदान को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदान पूंजीगत परिसंपत्ति बनाने के लिए हो। |
| राजस्व प्राप्तियां | इनमें सरकार द्वारा लगाए गए करों और शुल्कों की आय, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। |
| अर्ध-राजकोषीय संचालन | ये सामान्य सरकारी इकाइयों के अलावा अन्य संस्थागत इकाइयों द्वारा किए गए सरकारी संचालन हैं। इन परिचालनों का अर्थव्यवस्था पर सरकारी इकाइयों के समान ही राजकोषीय नीति प्रभाव पड़ता है। |

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in